



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 2014/आषाढ़ 6, 1936

No. 191]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 2014/ASHADHA 6, 1936

भारतीय दंत चिकित्सा परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2014

सं.डीई-97-2014.—दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 17ए के साथ पठित धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से, दंत चिकित्सक (आचार संहिता) विनियम, 1976 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई संबन्धित बातों या किए जाने वाले लोप के सिवाय, एतद्द्वारा भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (आचार संहिता) विनियम बनाती है :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

- 1.1 इन विनियमों को संशोधित दंत चिकित्सक (आचार संहिता) विनियम, 2014 कहा जा सकेगा।
- 1.2 ये भारत के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएँ :

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

- 2.1 'अधिनियम' से दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) अभिप्रेत है;
- 2.2 'परिषद' से भारतीय दंत चिकित्सा परिषद अभिप्रेत है।
- 2.3 दंत चिकित्सक से परिषद के साथ पूर्व पंजीकरण की हैसियत से पंजीकरण योग्य डेंटल डिग्री) राज्य चिकित्सकीय रजिस्टर के भाग ए या भाग बी में (या परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डेंटल सर्जरी) बीडीएस (की स्नातक उपाधि प्रदान व्यक्ति अभिप्रेत है, दंत चिकित्सक या दंत सर्जन के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा;

- 2.4 स्नातकोत्तर डेंटल डिग्री भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से दंत चिकित्सा के किसी भी विषय में दीक्षांत समारोह में प्राप्त एमडीएस के रूप में किसी भी स्नातकोत्तर अर्हता या एमडीएस के समकक्ष किसी भी अन्य स्नातकोत्तर अर्हता को संदर्भित करता है जो परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो;
- 2.5 इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए सभी भावों का अर्थ वही होगा जो अधिनियम और उनके तहत समय - समय बनाए गए विनियमों में उन्हें निर्दिष्ट किया गया हो।

अध्याय 1

3. चिकित्सकीय आचार संहिता

क. घोषणा

प्रत्येक दंत चिकित्सक जो इन विनियमों के आरंभ होने से तीस दिन की अवधि में पंजीकृत) राज्य दंत चिकित्सक रजिस्टर के भाग ए या भाग बी में (होता है और प्रत्येक दंत चिकित्सक जो इन विनियमों के आरंभ होने की तिथि से तीस दिन की अवधि में स्वयं को राज्य दंत चिकित्सा परिषद में पंजीकृत करवाता है, इन विनियमों की अनुसूची में इस प्रयोजन हेतु निर्धारित प्रपत्र में घोषणा करनी होगी कि विनियमों को पढ़ और समझ लिया गया है और इनका पालन होगा।

ख . दंत चिकित्सक के सामान्य कर्तव्य और बाध्यता

3.1 दंत चिकित्सक / दंत सर्जन का चरित्र

मुख के रोगों की शल्य चिकित्सा और चिकित्सा उपचार में शिक्षित और प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवर के रूप में दंत चिकित्सक/दंत सर्जन की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, वह:

(3.1.1) एक स्वतंत्र स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर एवं अपने मिशन के उच्च चरित्र को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों के निर्वहन की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहेगा और हमेशा स्मरण रखेगा कि रोगी की देखभाल और बीमारी की चिकित्सा उसके कौशल और उसके तत्काल ध्यान पर निर्भर करेगी और हमेशा स्मरण रखेगा कि उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, पेशेवर क्षमता और निष्ठा उसकी सर्वोत्तम संस्तुती बनी रहेगी;

(3.1.2) रोगियों के कल्याण को सभी अन्य बातों से सर्वोपरि माने और अपनी अधिकतम क्षमता से इसका संरक्षण करें।

(3.1.3) अपने रोगियों के प्रति विनम्र सहानुभूतिपूर्ण, दोस्ताना और उपकारी बनें, उनके बुलावे पर उत्तर देने हेतु हमेशा तत्पर रहें और हर परिस्थिति में अपने रोगियों और जनता के बीच विनम्र और गरिमापूर्ण व्यवहार बनाए रखें;

3.2 अच्छी नैदानिक प्रथाओं को बनाए रखें

चिकित्सकीय पेशे का प्रमुख उद्देश्य पेशे और व्यक्ति की गरिमा हेतु पूर्ण सम्मान सहित मानवता की सेवा करना है। दंत चिकित्सकों को सेवा और समर्पण के साथ पूरे उपाय करते हुए देखभाल के लिए आए रोगियों के विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। उन्हें चिकित्सा ज्ञान और कौशल में सुधार हेतु निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए और अपने रोगियों और सहयोगियों को अपनी व्यावसायिक उपलब्धियों से लाभान्वित करना चाहिए। दंत चिकित्सक/दंत सर्जन को वैज्ञानिक आधार पर स्थापित चिकित्सा के तरीकों का अभ्यास करना चाहिए और इस सिद्धांत का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ पेशेवर संबंध नहीं रखना चाहिए। दंत चिकित्सा पेशे के सम्मानित आदर्श हैं कि दंत चिकित्सक पेशेवरों की जिम्मेदारियां केवल व्यक्तियों के लिए नहीं, अपितु समाज के लिए हैं।

(3.2.1) चिकित्सकीय पेशे का प्रमुख उद्देश्य पेशे और व्यक्ति की गरिमा हेतु पूर्ण सम्मान सहित मानवता की सेवा करना है। दंत चिकित्सकों की सेवा और समर्पण के साथ पूरे उपाय करते हुए देखभाल के लिए आए रोगियों के विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। उन्हें चिकित्सा ज्ञान और कौशल में सुधार हेतु निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए और अपने रोगियों और सहयोगियों को अपनी व्यावसायिक उपलब्धियों से लाभान्वित करना चाहिए। दंत चिकित्सक/दंत सर्जन को वैज्ञानिक आधार पर स्थापित चिकित्सा के तरीकों का अभ्यास करना चाहिए और इस सिद्धांत का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ पेशेवर संबंध नहीं रखना चाहिए। दंत चिकित्सा पेशे के सम्मानित आदर्श हैं कि दंत चिकित्सक पेशेवरों की जिम्मेदारियां केवल व्यक्तियों के लिए नहीं, अपितु समाज के लिए हैं।

(3.2.2) डेंटल और मेडिकल संघों और सोसाइटियों की सदस्यता : अपने पेशे की उन्नति के लिए, दंत चिकित्सक को दंत, मुख और सम्बद्ध चिकित्सीय पेशेवरों के संगठनों और सोसाइटियों से संबंधित होने, विशेष रूप से मुख स्वास्थ्य और सामान्य रूप से व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु सक्रिय भूमिका निभाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए है।

(3.2.3) दंत चिकित्सक/दंत सर्जन को समय-समय पर सांविधिक निकायों द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार डेंटल और मेडिकल शिक्षा कार्यक्रमों /वैज्ञानिक सेमिनारों /कार्यशालाओं की पेशेवर बैठकों में भाग लेकर अपने व्यावसायिक ज्ञान को समृद्ध करना चाहिए और विनिर्दिष्ट किए अनुसार राज्य पंजीकरण निकायों या किसी अन्य निकाय के साथ भी अनिवार्य आवश्यकताएं दर्ज करानी चाहिए।

3.3 चिकित्सकीय / मेडिकल रिकॉर्ड का रखरखाव:

(3.3.1) प्रत्येक दंत सर्जन अपने बाह्य रोगियों और भर्ती किए गए रोगियों जहां लागू हो (से संबंधित रिकॉर्ड रखेगा। ये रिकॉर्ड परिषद द्वारा निर्धारित या दस्तावेज के मानक प्रकार के रूप में स्वीकार किए गए प्रारूप में उपचार आरंभ होने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक अनिवार्य रूप से संरक्षित किए जाने चाहिए।

(3.3.2) यदि रोगियों/अधिकृत परिचर या संबद्ध कानूनी अधिकारियों द्वारा मेडिकल या दंत चिकित्सा के रिकॉर्ड का अनुरोध किया जाता है तो सभी दस्तावेजों के लिए वैध रसीद प्राप्त कर 72 घंटे के भीतर इसे सक्षम प्राधिकारी को जारी किया जाए। ऐसी प्रस्तुतियों की प्रमाणित फोटो प्रतियां / कार्बन प्रतियां रखना समझदारी होगी।

(3.3.3) पंजीकृत दंत चिकित्सक, जारी प्रमाणपत्रों की पूरी जानकारी देते हुए चिकित्सा प्रमाणपत्र का एक रजिस्टर करेगा। चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करते समय वह रोगी की पहचान के चिन्हों को दर्ज करेगा और प्रमाणपत्र की एक प्रतिलिपि रखेगा। वह चिकित्सा प्रमाणपत्र या रिपोर्ट पर रोगी के हस्ताक्षर और/या अंगूठे का निशान, पता और मरीज की कम से कम एक पहचान अवश्य दर्ज करेगा। चिकित्सा प्रमाणपत्र इस दस्तावेज के परिशिष्ट 2, संशोधित दंत चिकित्सक आचार संहिता, 2012, के रूप में तैयार किया जाएगा।

(3.3.4) शीघ्र बहाली के लिए दंत/मेडिकल रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के प्रयास किए जाएं।

3.4 पंजीकरण संख्या का प्रदर्शन:

(3.4.1) प्रत्येक दंत चिकित्सक राज्य दंत चिकित्सा परिषद द्वारा उसे दी पंजीकरण संख्या अपने क्लीनिक और अपने रोगियों को दिए गए सारे नुस्खों, प्रमाणपत्रों और धन प्राप्ति की रसीदों में प्रदर्शित करेगा।

(3.4.2) दंत सर्जन अपने नाम के साथ केवल मान्यताप्राप्त डेंटल डिग्रियां प्रदर्शित करेगा जो परिषद से मान्यताप्राप्त हैं या प्रमाणपत्र/डिप्लोमा और सदस्यता/सम्मान /अध्येतावृत्तियां जो मान्यताप्राप्त

विश्वविद्यालयों/परिषद के अनुमोदित मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा दी जाती हों और दीक्षांत समारोह में स्वयं या अनुपस्थिति में प्राप्त की हों। कोई अन्य अर्हता जैसे चिकित्सा डिग्री, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री या कोई अन्य डिग्री, जो व्यक्ति के ज्ञान या अनुकरणीय अर्हता पर प्रभाव डालती हो, को इस तरीके से प्रत्यय रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है कि प्रैक्टिशनर के ज्ञान या डेंटल पेशेवर के रूप में क्षमता के संबंध में पर्यवेक्षक या रोगी पर कोई गलत प्रभाव न डालता हो। संघ या पेशेवरों के संगठनों में सदस्यता के संक्षिप्त रूप को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जो जनता को गुमराह करे।] प्रासंगिक विवरण के लिए इस दस्तावेज़ का अनुच्छेद 8.9.3, संशोधित दंत चिकित्सक आचार विनियम संहिता, 2012 देखें।

3.5 दवाइयों का नुखसा

प्रत्येक दंत सर्जन को उत्तरदायी ढंग से दवाइयों का नुखसा लिखने और दवाई देने और दवाओं के सुरक्षित और तर्कसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने की ओर ध्यान देना चाहिए। जहां तक संभव हो, उन्हें दवाई का नुखसा व्यापक रूप में लिखना चाहिए।

3.6 रोगी की देखभाल में उच्चतम गुणवत्ता का आश्वासन:

प्रत्येक दंत चिकित्सक को गुणवत्ता उपचार सुनिश्चित करना चाहिए जिसमें उपचार के परिणाम से समझौता न हो। वह अन्य चिकित्सकों के कदाचार के प्रति अवश्य जागरूक रहे जिससे दूसरों का जीवन जोखिम में पड़ सकता है और जनता को नुकसान पहुँचने की संभावना होती है। सभी चिकित्सकों को अयोग्य व्यक्तियों के अनैतिक आचरण और व्यवहार की जानकारी होनी चाहिए। दंत चिकित्सक/दंत सर्जन को अपने पेशेवर व्यवसाय में किसी भी ऐसे परिचर को रोजगार पर नहीं रखना चाहिए जो न तो दंत चिकित्सक कानून के तहत पंजीकृत हो और न ही सूचीबद्ध हो और ऐसे व्यक्तियों को रोगियों की देखभाल करने, उपचार करने या ऑपरेशन करने की अनुमति न दें जहां पेशेवर विवेक या कौशल की आवश्यकता हो।

3.7 अनैतिक आचरण का भंडाफोड़:

दंत सर्जन को, भय रहित या बिना पक्षपात, पेशे के सदस्यों की ओर से अक्षम या भ्रष्ट, बेईमान या अनैतिक आचरण का भंडाफोड़ करना चाहिए। दंत सर्जन का यह उत्तरदायित्व है कि वह उनकी जानकारी में आने वाले नीमहकीमी और डॉक्टर-रोगी यौन दुराचार, यौन कदाचार, वैश्वसिक संबंध के दुरुपयोग, बाल उत्पीड़न और अन्य सामाजिक बुराइयों की रिपोर्ट सक्षम अधिकारियों को करे।

3.8 व्यावसायिक सेवाओं का भुगतान:

अपने पेशे के अभ्यास में लगे हुए दंत सर्जन, मरीजों के हितों को प्राथमिकता देंगे। किसी दंत सर्जन के व्यक्तिगत वित्तीय हितों का टकराव रोगियों के चिकित्सा हितों से नहीं होगा। दंत चिकित्सक को सेवा प्रदान करने से पूर्व अपनी फीस की सूचना देनी चाहिए न कि ऑपरेशन करने के बाद अथवा इलाज करते समय। ऐसी सेवाओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक राशि के रूप में होना चाहिए और सेवा प्रदान करते समय रोगी को दी गई राशि की सूचना के अनुसार होनी चाहिए। "निरोग नहीं-कोई भुगतान नहीं" का अनुबंध करना अनैतिक है। सरकार की ओर से दंत सर्जन सेवा देने वालों को किसी भी प्रतिफल की आशा करने या स्वीकार करने से बचना होगा। जबकि साथी दंत चिकित्सक या चिकित्सा पेशेवरों और उनके निकट परिवार के लिए निःशुल्क परामर्श प्रदान करना अनिवार्य नहीं है, जहां अधिक खर्च न हुआ हो वहाँ मुफ्त या रियायती परामर्श और उपचार प्रदान करना एक शिष्टाचार माना जाएगा।

3.9 विधियों का अवलोकन:

दंत सर्जन दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 और इसके संशोधन सहित अपने पेशे के अभ्यास के विनियमन में देश के कानूनों का पालन करेगा और इस तरह के नियमों का उल्लंघन करने के लिए दूसरों की सहायता भी नहीं करेगा। उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में सेनेटरी कानूनों और नियमों के अनुपालन और प्रवर्तन में सहयोगी होना चाहिए। उन्हें औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940; भेषजी

अधिनियम, 1948; स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985; पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986; औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 ; निशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995; और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग) अधिनियम, 1998 और केंद्र/राज्य सरकारों या स्थानीय प्रशासनिक निकायों या किसी भी अन्य प्रासंगिक अधिनियम द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्धन के लिए बनाए गए अधिनियमों, नियमों, विनियमों के उपबंधों का पालन करना चाहिए ।

3.10 पेशेवर प्रमाणपत्र, रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना:

दंत चिकित्सा और मुख शल्य चिकित्सीय समस्याओं के उपचार में स्वतंत्र रूप से लगे किसी पंजीकृत डेंटल सर्जन को प्रमाणपत्र, सूचनाएं, रिपोर्टों आदि पर हस्ताक्षर करने को कहा जा सकता है। वह इस तरह के प्रमाणपत्र जारी करने और उन पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। विकलांगता, मुख और जबड़े में चोट, दंत शल्य चिकित्सक की देखभाल के दौरान होने वाली मौतों से संबंधित दस्तावेजों पर बाद में अदालतों में उपयोग या प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए अपनी पेशेवर क्षमता में उनके द्वारा ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। इस तरह के दस्तावेजों में, अन्यो के साथ, परिशिष्ट 4 पर दिए गए दस्तावेज शामिल हैं। किसी भी पंजीकृत दंत सर्जन जिसे इसी तरह के प्रमाणपत्र, अधिसूचना, रिपोर्ट या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए पाए जाने पर या उसके नाम और अधिकार तहत पता लगने पर, जो असत्य, भ्रामक या अनुचित है, उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा।

अध्याय 2

4. दंत चिकित्सकों के अपने रोगियों के प्रति कर्तव्य

4.1 रोगियों के प्रति दायित्व

(4.1.1) यद्यपि कोई दंत सर्जन, उसकी सेवाएं मांगने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उपचार करने के लिए बाध्य नहीं है, उसे क्लिनिक में आपातकालीन रिपोर्ट करने वाले की सेवा करनी चाहिए और उसे मिशन के उच्च चरित्र और अपने पेशेवर कर्तव्यों के क्रम में निर्वहन की जाने वाली जिम्मेदारी के प्रति जागरूक होना चाहिए। दंत सर्जन को यथासंभव अपने निर्धारित समय में मरीजों को देखना चाहिए जब तक कि अप्रत्याशित विलंब के कारण ऐसा करने में वो असमर्थ न हो। उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि स्वास्थ्य और देखभाल के लिए आए रोगियों का जीवन उनके कौशल और ध्यान पर निर्भर करता है। दंत सर्जन का रोगी को किसी डेंटल सर्जन या चिकित्सक की सेवा लेने की सलाह देना स्वीकार्य है। हालांकि आपातकालीन चिकित्सा के मामले में दंत सर्जन को हृदय प्रकरणों के मामले में पुनर्जीवन सहित पर्याप्त देखभाल करनी आनी चाहिए।

(4.1.2) दंत सर्जन अपने विवेक अनुसार उपचार से मना कर सकते हैं लेकिन यह रंग, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता या एचआईवी या अन्य संक्रामक रोगों की उपस्थिति के किसी भेदभाव पर आधारित नहीं होना चाहिए। हालांकि चिकित्सीय देखभाल के आदेश को ध्यान में रखते हुए दंत सर्जन को उपचार करना जारी रखना चाहिए यदि उन्होंने इलाज के लिए मरीज को स्वीकार किया है। उपचार रोगी की इच्छा या जिस शिकायत के लिए रोगी ने उपचार की मांग की थी उसके समाधान होने पर उपचार समाप्त किया जा सकता है। उपचार को तब भी समाप्त किया जा सकता है यदि रोगी को अतिरिक्त या विशेषज्ञ देखभाल की जरूरत हो और दंत सर्जन उसका उपचार करने के लिए सुविधाओं से लैस न हो या यदि यह उसकी विशेषज्ञता से

बाहर आता हो। ऐसे मामलों में, रोगी को ऐसे विशेषज्ञों या उच्चतर केन्द्रों में भेजा जाना चाहिए जहां उपचार संभव हो।

(4.1.3) रोगी को हानि पहुंचाने वाले अक्षम दंत चिकित्सक या जो उसके कार्य-प्रदर्शन बनाम रोगी को प्रभावित कर सकते हैं, को अपने पेशे का अभ्यास करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

4.2 गोपनीयता:

रोगियों को किसी दंत सर्जन को व्यक्तिगत या घरेलू जीवन की गोपनीयता प्रकट करने और किसी रोगी का पेशेवर रूप में उपचार करते समय रोगियों के स्वभाव या चरित्र में दोष को तब तक उजागर नहीं करना चाहिए जब तक राज्य के कानूनों द्वारा इसे उजागर करना आवश्यक न हो। तथापि, कभी-कभी, चिकित्सक को यह निर्णय लेना चाहिए कि क्या स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के रूप में गोपनीयता के माध्यम से प्राप्त जानकारी को समाज के प्रति अपने कर्तव्य के लिए संचारी रोग के खिलाफ स्वस्थ व्यक्ति की रक्षा के लिए काम में लेने की आवश्यकता है। इस तरह के उदाहरण में, दंत सर्जन को इस रूप में कार्य करना चाहिए जैसेकि इस तरह की समान परिस्थितियों में अपने ही परिवार के किसी सदस्य के लिए किसी अन्य से कार्य करवाने की इच्छा होगी।

4.3 रोग का निदान:

डेंटल सर्जन को रोगी की बीमारी की गंभीरता को न तो बढ़ा-चढ़कर और न ही कम करके बताना चाहिए। उन्हें स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि रोगी, उसके संबंधियों और उसके उत्तरदायी मित्रों को रोगी की हालत की जानकारी है, इससे रोगी और परिवार के सर्वोत्तम हितों में मदद मिलेगी।

4.4 रोगी की उपेक्षा न की जाए :

डेंटल सर्जन इसका चुनाव करने में स्वतंत्र है कि वह किसकी सेवा करे। हालांकि, आपात स्थिति में सहायता के किसी भी अनुरोध का उसे जवाब देना चाहिए। एक बार मामला स्वीकारने पर, दंत सर्जन को न तो रोगी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और न ही रोगी और उनके परिवार को पर्याप्त सूचना दिए बिना उन्हें मामले से हट जाना चाहिए। वह जानबूझकर उपेक्षा का काम नहीं करेगा जो आवश्यक डेंटल / चिकित्सा देखभाल से उनके रोगी या रोगियों को वंचित कर सकता है।

अध्याय 3

5. दंत सर्जनों और विशेषज्ञों के परामर्श में कर्तव्य

5.1 परामर्शी शिष्टाचार

(5.1.1) दंत सर्जन को आमतौर पर अपनी योग्यता और प्रशिक्षण के अनुसार मुख की सभी आम बीमारियों से निपटने में सक्षम होना चाहिए। तथापि, यदि रोगी को किसी विशेषज्ञ की देखभाल की आवश्यकता हो, तो समस्या की प्रकृति के अनुसार दंत या मेडिकल विशेषज्ञों का उपयुक्त हवाला दिया जा सकता है। जिस बीमारी के लिए यह हवाला दिया गया था उसका उपचार होने के बाद रोगी को वापस उसके मूल दंत चिकित्सक के पास भेजने का कर्तव्य विशेषज्ञ का है। जबकि विशेषज्ञ उसकी फीस जमा कर सकते हैं जबकि हवाला देने वाले दंत सर्जन को कमीशन या किसी तरह के उपदान का भुगतान करना अनैतिक होगा।

(5.1.2) दंत सर्जन रेफरल के लिए रेडियोलॉजिस्ट, प्रयोगशाला या दवा की दुकान से पैसे, उपहार या उपदान के रूप में किसी भी तरह का कमीशन नहीं लेगा। जांच के लिए सभी रेफरल, विवेकपूर्ण, न्यायोचित होने चाहिए और निदान पर पहुंचने के लिए रोगी के सर्वोत्तम हित में किए जाने चाहिए।

5.2 रोगी के लाभ के लिए परामर्श :

हर परामर्श में, रोगी को लाभ सबसे महत्वपूर्ण महत्व है। मामले में लिप्त सभी दंत सर्जन रोगी और उनके साथ आने के साथ उदार होना चाहिए।

5.3 परामर्श में समय की पाबंदी :

डेंटल सर्जन द्वारा विचार-विमर्श के लिए समय की पाबंदी का ध्यान रखा जाना चाहिए सिवाय अपरिहार्य पेशेवर देरी के मामले के जो न्यायोचित हो।

5.4 राय और प्रकटीकरण

(5.4.1) किसी भी परामर्शी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर और / या पैरामेडिकल स्टाफ (नर्सों आदि) के सभी कथन रोगी या उनके प्रतिनिधियों की दंत सर्जन की उपस्थिति में होने चाहिए, सिवाय उनके जिनके लिए अन्यथा सहमति हुई हो। मरीज या उसके रिश्तेदारों या मित्रों को विचार का प्रकटीकरण दंत सर्जन द्वारा किया जाएगा।

(5.4.2) राय में मतभेद का खुलासा अनावश्यक रूप से रोगी को नहीं किया जाना, लेकिन जब विचार कट्टर विरोधी हों तो रोगी या उसके रिश्तेदारों या मित्रों को हालात स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से बताया जाने चाहिए। यदि वे चाहें तो और सलाह लेना उन पर निर्भर करेगा।

5.5 परामर्श के पश्चात उपचार:

कोई अप्रत्याशित परिवर्तन होने पर सेवा करने वाले दंत सर्जन को बाद में उपचार में कोई बदलाव करने के किसी निर्णय से नहीं बचना चाहिए, लेकिन अगले परामर्श में, बदलाव के कारणों पर चर्चा की जानी चाहिए / समझाया जाना चाहिए। अपने दायित्वों के साथ यही विशेषाधिकार सलाहकार का होता है जब उसे सेवा कर रहे दंत सर्जन की अनुपस्थिति में आपात स्थिति में भेजा गया हो। सेवा कर रहे दंत सर्जन रोगी को कभी भी दवाई लिख सकता है जबकि सलाहकार केवल आपात-स्थिति के मामले में एक विशेषज्ञ के रूप में दवा लिख सकते हैं।

5.6 विशेषज्ञों को रेफर किए गए रोगी :

जब इलाज कर रहे दंत सर्जन द्वारा किसी रोगी को विशेषज्ञ के पास रेफर किया जाता है तो रोगी के मामले का सार विशेषज्ञ को दिया जाना चाहिए, इलाज कर रहे दंत सर्जन द्वारा विशेषज्ञ को लिखित में अपनी राय देनी चाहिए।

5.7 फीस और अन्य शुल्क :

(5.7.1) दंत सर्जन या उसके क्लिनिक द्वारा स्पष्ट रूप से प्रक्रिया के उपचार की लागत बताई जाएगी और होने वाले सभी संभावित खर्च की कीमत का अनुमान लगाया जाएगा। बाद में लागत में हुई किसी वृद्धि का दंत सर्जन द्वारा औचित्य साबित करना होगा। दंत क्लिनिक में फीस और अन्य शुल्कों के प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं है। यदि दंत सर्जन ने खुद ही कोई दवा दी है तो नुस्खे में इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

(5.7.2) नुस्खे पत्र शीर्ष में दंत सर्जन द्वारा मान्यता प्राप्त डेंटल डिग्री के साथ अपना पूरा नाम, पदनाम और पंजीकरण का विवरण लिखा जाएगा।

नोट :सरकारी अस्पतालों में, जहां रोगियों की भारी भीड़ होती है, नुस्खा लिखने वाले चिकित्सक का नाम उनके हस्ताक्षर नीचे लिखा होना चाहिए।

अध्याय 4**6. दंत सर्जन का एक दूसरे के प्रति उत्तदायित्व****6.1 दंत सर्जन की एक दूसरे के प्रति निर्भरता: _**

दंत सर्जन को अन्य दंत चिकित्सकों, चिकित्सकों और उनके निकट परिवार के आश्रितों को निःशुल्क सेवा प्रदान करना एक खुशी और सौभाग्य की बात माननी चाहिए। हालांकि जब इसमें महंगी सामग्री और समय शामिल हो, तो फीस स्वीकार करने वाले पर कोई अनिवार्य प्रतिबंध नहीं है।

6.2 परामर्श में आचरण :

परामर्श में कोई निष्ठाहीनता, प्रतिद्वंद्विता या ईर्ष्या लिप्त नहीं होनी चाहिए। दंत सर्जन /चिकित्सक प्रभारी को सभी उचित सम्मान दिया जाना चाहिए और कोई बयान या टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए जो उस पर दर्शाए गए विश्वास को क्षीण करता हो। इस उद्देश्य के लिए रोगी या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कोई चर्चा नहीं की जानी चाहिए।

6.3 सलाहकार को मामले का प्रभार नहीं लेना है :

जब किसी विशेषज्ञ दंत सर्जन को परामर्श के लिए बुलाया जाता है तो सलाहकार को सामान्य रूप से मामले का प्रभार नहीं लेना चाहिए विशेष रूप से रोगी या मित्रों की याचना पर। सलाहकार को रेफर करने वाले डेंटल सर्जन की आलोचना नहीं करनी चाहिए। वह रेफर करने वाले दंत सर्जन के साथ निदान उपचार योजना पर चर्चा करेंगे।

6.4 एवजी की नियुक्ति:

जब कोई दंत सर्जन अपने काम से अस्थायी तौर पर अनुपस्थित होने के दौरान अपने रोगियों के इलाज के लिए किसी अन्य दंत सर्जन से अनुरोध करता है तो पेशेवर शिष्टाचार के नाते केवल ऐसी नियुक्ति की स्वीकृति देना आवश्यक है जब उनमें अपने अन्य कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी का निर्वहन करने की क्षमता हो। ऐसी नियुक्ति के तहत कार्य कर रहे दंत सर्जन को अनुपस्थित दंत सर्जन के हितों और प्रतिष्ठा की लिए अत्यंत ध्यान देना चाहिए और उनके वापस आने के बाद ऐसे सभी रोगियों को देखभाल के लिए उनके पास वापस भेजना चाहिए।

6.5 अन्य मामले देखने जाना:

जब सरकारी हैसियत वाले किसी दंत सर्जन की किसी स्थिति और उपयुक्त उपचार को देखने और रिपोर्ट करने की ड्यूटी बन जाती है, उसे उपस्थित दंत सर्जन को सूचित करना चाहिए ताकि उसे उपस्थित होने का विकल्प दिया जा सके। सरकारी हैसियत वाले मेडिकल अफसर / दंत सर्जन को अपनाए गए निदान या उपचार पर कोई टिप्पणी करने से बचना चाहिए।

अध्याय 5**7. दंत सर्जन की जनता और पैरामेडिकल पेशे वालों के प्रति ड्यूटी****7.1 नागरिकों के रूप में डेंटल सर्जन:**

विशेष प्रशिक्षण प्राप्त दंत सर्जन को, अच्छे नागरिक के रूप में, सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर सलाह का प्रसार करना चाहिए। उन्हें समुदाय के कानूनों को लागू करने और मानवता के हितों को आगे बढ़ाने वाली संस्थाओं को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्हें विशेष रूप से सेनेटरी/सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून और नियमों के प्रशासन के अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए।

7.2 सार्वजनिक और सामुदायिक स्वास्थ्य:

दंत सर्जन, विशेष रूप से वे जो सार्वजनिक स्वास्थ्य दंत चिकित्सा में लगे हुए हैं, उन्हें मुख स्वास्थ्य और मुख की बीमारियों की रोकथाम जैसे दंत क्षय, पीरियोडेंटल स्वास्थ्य, पूर्व कैंसर घावों और मौखिक कैंसर के विषय में जनता को समझाना चाहिए। डेंटल सर्जन को हर समय स्वास्थ्य प्राधिकरण के कानूनों,

नियमों और विनियमों के अनुसार अपनी देखरेख में संचारी रोग के हर मामले की सूचना गठित सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों या अस्पतालों को देनी चाहिए।

7.3 फार्मासिस्ट / नर्स :

दंत सर्जन को विभिन्न पैरामेडिकल सेवाओं के अभ्यास जैसे दंत स्वास्थ्य विज्ञानवेत्ता, डेंटल मैकेनिक, फार्मसी और नर्सिंग को पेशे के रूप में मान्यता देनी चाहिए और जहां कहीं आवश्यकता हो, उनका सहयोग लेना चाहिए।

अध्याय 6

8. अनैतिक कार्य:

दंत सर्जन निम्नलिखित कृत्यों में न तो सहयोग करेगा या न उकसाएगा या न करेगा। इन विनियमों के प्रयोजन के लिए दंत सर्जन सभी पंजीकृत चिकित्सकों को संदर्भित करता है चाहे वे व्यक्तिगत निजी प्रैक्टिस में हों, अस्पतालों, शिक्षण अस्पतालों के साथ संलग्न हों या अन्य लोगों द्वारा नियोजित हों, भले ही वे कॉर्पोरेट हों या अन्यथा :

8.1 विज्ञापन :

डेंटल / मेडिकल पेशेवरों द्वारा विज्ञापन की नैतिकता के मुद्दे पर वैश्विक स्थिति पिछले कुछ दशकों में काफी बदल गई है। दंत चिकित्सक या दंत चिकित्सकों का कोई समूह विज्ञापन दे सकता है बशर्ते कि वे उच्च नैतिक दायित्वों और महत्व को ध्यान में रखते हुए मर्यादा को बनाए रखें जैसाकि समाज को उनके काम की महत्वपूर्ण प्रकृति और उनसे अपेक्षित नैतिक चरित्र और अखंडता की आशा है। दंत सर्जनों से निष्ठा, ईमानदारी, और निःस्वार्थ सेवा प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। अपने रोगियों के कल्याण के लिए आर्थिक प्रतिबद्धताएं केवल सहायक हो सकती हैं।

इन परिस्थितियों में यह अनैतिक है :

(8.1.1) राष्ट्रीय विज्ञापन परिषद या देश के किसी अन्य विनियामक विज्ञापन निकाय के उल्लंघन में व्यक्तियों, क्लीनिकों या अस्पतालों के विज्ञापन या प्रत्यक्ष विपणन के माध्यम से नीचा दिखाने, लोभ और झूठे वादे में लिप्त होना;

(8.1.2) विज्ञापन देना, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या सम्बद्ध या कॉर्पोरेट निकायों सहित किसी भी संगठन या कंपनी के साथ नियोजित होकर जो एक तरह इस तरह की गतिविधियों में इस तरीके से लिप्त हों जो कमजोर वर्ग को पूर्णतया लक्षित करके और स्कूलों, कॉलेजों, वृद्धाश्रमों में शिविर और अन्य प्रोत्साहन गतिविधियों के आयोजन और हेंडबिलों, दावा वाउचरों और अन्य व्यावसायिक प्रोत्साहन गतिविधियों द्वारा अनुचित पेशेवर लाभ देता हो। डेंटल और मेडिकल व्यक्तियों के पंजीकृत निकाय सहित पंजीकृत धर्मार्थ संगठनों को हालांकि छूट दी गई है; जो परोपकारिता से बाहर पूरी तरह से निःशुल्क दंत चिकित्सा देखभाल और उपचार उपलब्ध कराते हैं;

8.1.3) उनके साथ संबंध या नियोजित होना जो प्रेस रिपोर्टों के माध्यम से इस तरह के झूठे और भ्रामक विज्ञापनों या प्रकाशन की खरीद या मंजूरी प्राप्त करते हैं, जो प्रलोभन, छूट और झूठे लाभों का वादा करते हैं।

(8.1.4) इस तरीके से रोगियों को हासिल करने के उद्देश्य से किसी एजेंट या पक्ष प्रचारक को रोजगार पर रखना जो वाणिज्यिक हो; उनके साथ सम्बद्ध हो या उनके द्वारा काम पर रखा गया हो जो इस तरह के रोजगार को प्राप्त करते हैं या मंजूरी देते हैं;

(8.1.5) अन्य संकेत की अपेक्षा बेढंग रूप से किसी भी अधिकतर बड़े संकेत का प्रयोग करना या प्रदर्शन करना जो अपने स्वरूप, स्थिति, आकार और शब्दों में केवल ऐसा है जिसकी उन परिसरों के सही स्थान और प्रवेश मार्ग ढूँढने वाले व्यक्तियों के संकेत के लिए यथोचित आवश्यक हो सकता है जिनमें दांत अभ्यास किया जाता है और कहीं नहीं।

(8.1.6) वाणिज्यिक सामानों जैसे टूथ पेस्ट, टूथ ब्रश, टूथ पाउडर, माउथ वाश, तरल क्लीनर, या इस तरह के सामान को नामित करने के लिए दंत सर्जन के नाम के प्रयोग की अनुमति देना सिवाय इसके कि यदि ऐसा सामान डेंटल क्लिनिक जैसे डेंचर, क्राउन, ब्रिजेज़ आदि में निर्मित किया जाता है;

(8.1.7) सामान्य में, किसी भी प्रक्रिया, उपकरण पर दंत सर्जन की राय के प्रकाशन की अनुमति देना या कागजात रखना या जर्नल रखना सिवाय इसके जब साक्ष्य आधारित अध्ययनों द्वारा मान्य या समर्थित हो;

(8.1.8) टीवी कार्यक्रमों, मेगजीनों या पत्रिकाओं के माध्यम से जनता को शिक्षित करने की आड़ में सरोगेट विज्ञापनों में लिप्त होना। अच्छे विश्वास और इरादे से जनता के लिए फैलाई गई किसी सार्वजनिक सूचना में रोगियों को आकर्षित करने के लिए दंत सर्जन या उसे रोजगार देने वाले क्लीनिक के पते, टेलीफोन नंबर, ई-मेल पते आदि नहीं होना चाहिए;

(8.1.9) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टेलीविजन कार्यक्रमों में विज्ञापन देना जो परदे पर 'स्करोलर' के रूप में दंत चिकित्सकों या ऐसे दंत चिकित्सकों को रोजगार देने वाले क्लीनिकों के नाम, पते, टेलीफोन न. का प्रदर्शन करता है;

8.2 याचना करना:

दंत सर्जन द्वारा, दंत सर्जन के समूह द्वारा या संस्थाओं या संगठनों द्वारा, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, रोगियों की याचना करना अनैतिक है (इस दस्तावेज के 8.2.1 से देखें 8.2.10 को देखें, संशोधित दंत चिकित्सक आचार संहिता विनियम, 2012) सिवाय इसके जब बाद में उल्लेख किए गए उपबंधों के तहत अनुमति दी गई हो। दंत सर्जन स्वयं (या अपने नाम) का प्रयोग अकेले या दूसरों के साथ संयोजन के रूप में किसी भी विधा के माध्यम से विज्ञापन के किसी रूप या तरीके के माध्यम से नहीं करेगा जो ऐसे स्वरूप की हो जो उसका या उसकी पेशेवर उसे या के लिए ध्यान आमंत्रित करने के रूप में इस तरह के एक चरित्र का है जो उसका या उसकी पेशेवर स्थिति, कौशल, योग्यता, उपलब्धियों, योग्यताओं, विशेषताओं, नियुक्तियों, संघों, संबद्धता या सम्मान और/या ऐसे चरित्र के रूप में ध्यान आकर्षित करेगा जो आमतौर पर उनकी आत्म-उन्नति का प्रतिफल होगा। दंत सर्जन किसी व्यक्ति को दवा, चिकित्सा, नोस्ट्रम उपचार, शल्य चिकित्सा, या चिकित्सकीय लेख, उपस्कर या उपकरण, या कोई वाणिज्यिक उत्पाद, किसी संपत्ति से संबन्धित सामान, उसकी गुणवत्ता या उपयोग या उसकी कोई जांच, प्रदर्शन या परीक्षण के संबंध में क्षतिपूर्ति या अन्यथा, किसी भी अनुमोदन, सिफारिश, बेचान, प्रमाण पत्र, रिपोर्ट या बयान, किसी भी विधा के माध्यम से विज्ञापन या प्रचार के किसी भी रूप या तरीके के विषय के रूप में अपने नाम, हस्ताक्षर या फोटोग्राफ के उपयोग के संबंध में किसी भी व्यक्ति को नहीं देगा न ही वह मामले, ऑपरेशन, इलाज, उपचार की शेखी बघारेगा या किसी भी तरीके के माध्यम से उसकी रिपोर्ट के प्रकाशन की अनुमति नहीं देगा।

हालांकि दंत सर्जन को निम्नलिखित के बारे में नैतिकता की दृष्टि से स्वीकार्य व्यवहार के रूप में प्रेस में एक औपचारिक घोषणा करने की अनुमति दी गई है:

(8.2.1) अभ्यास शुरू करने पर।

(8.2.2) अभ्यास के प्रकार के परिवर्तन पर।

(8.2.3) पता बदलने पर।

- (8.2.4) समय की एक लम्बी अवधि के लिए इयूटी से अस्थायी अनुपस्थिति पर।
- (8.2.5) लम्बी अवधि के ब्रेक के बाद अभ्यास पुन आरंभ करने पर।
- (8.2.6) एक और अभ्यास के लिए सफल होने पर।
- (8.2.7) 'सर्वोत्तम' या 'प्रथम' होने के दावों के बारे में बिना शोखी बघारे नए उपकरण या सेवाओं की उपलब्धता के बारे में, विशेषरूप से यदि ऐसी सेवाएँ अन्य सुविधाओं में पहले से ही उपलब्ध हों।
- (8.2.8) टेलीफोन डायरेक्टरी, येलो पेजेज़ या इंटरनेट पर प्रविष्टि के माध्यम की अनुमति है और केवल सार्वजनिक के रूप में माना जाएगा। हालांकि दूसरों पर श्रेष्ठता या विशेष कौशल के किसी भी दावे को अनैतिक व्यवहार के रूप माना जाएगा।
- (8.2.9) दंत चिकित्सकों या दंत क्लीनिक के बारे में वेबसाइटों के रखरखाव के माध्यम से, जहां सारी जानकारी तथ्यात्मक है, दी गई सूचना को अनैतिक व्यवहार नहीं माना जाएगा। वेबसाइटों में उपलब्ध उपचार सुविधाओं और उसकी फीस की जानकारी भी दी जा सकती है। यह वास्तव में पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से विकल्प बनाने में रोगियों की मदद करेगी। हालांकि वेबसाइटों पर ऐसा दावा या बयान नहीं देना चाहिए जो तथ्यात्मक नहीं हैं और इसलिए जनता को गुमराह करने वाले हों।

8.3 प्रचार और साइनेज :

(8.3.1) पत्र शीर्ष में या परामर्श कक्ष या किसी भी तरह के नैदानिक स्थापना के साइन बोर्ड पर अपना फोटो या प्रचार की ऐसी किसी भी सामग्री के मुद्रण को आत्म विज्ञापन और चिकित्सक की ओर से अनैतिक आचरण के कृत्यों के रूप में माना जाएगा। हालांकि, स्केच मुद्रण, चित्र, मानव प्रणाली के चित्र को अनैतिक नहीं माना जाएगा;

(8.3.2) अन्य संकेत की अपेक्षा बेढंग रूप से किसी भी अधिकतर बड़े संकेत का प्रयोग करना या प्रदर्शन करना जो अपने स्वरूप, स्थिति, आकार और शब्दों में केवल ऐसा है जिसकी उन परिसरों के सही स्थान और प्रवेश मार्ग ढूँढने वाले व्यक्तियों के संकेत के लिए यथोचित आवश्यक हो सकता है जिनमें दांत अभ्यास किया जाता है, को अनैतिक माना जाता है। इनमें शामिल है :

(8.3.2.1) इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल के साथ साइन बोर्ड का उपयोग जो पेशे की गरिमा को कम करते हों या परिसरों में अभ्यास से संबंधित सूचना के अलावा जिनमें वास्तव में अभ्यास किया जाता है, या प्रदर्शन मामले, या चल प्रकाश साइन बोर्ड और अधिनियम की धारा 2 के खंड (जे) के तहत परिभाषित किए अनुसार उसके नाम और योग्यता की तुलना में अन्य किसी भी बात को दर्शाने वाले साइन बोर्ड का उपयोग;

8.3.2.2) एक केमिस्ट की दुकान पर या ऐसे स्थानों में साइन बोर्ड लगाना जहां दंत चिकित्सक नहीं रहते हैं या काम नहीं करते हैं।

(8.3.3) दंत सर्जन नाम पट्ट पर और /या कार्यालय लेखन सामग्री (विजिटिंग कार्ड, पत्र शीर्ष इत्यादि) पर प्रदर्शित संकेत के माध्यम से एक विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करेगा जब तक उनके पास उस विशेषज्ञता में विशिष्ट अर्हता नहीं है (जो परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है) दंत सर्जन दंत चिकित्सा की सभी शाखाओं में अभ्यास कर सकता है बशर्ते कि वह संबंधित शाखा या शाखाओं में पर्याप्त अर्हता, क्षमता और सदाशयी प्रशिक्षण दिखाता है।

8.4 एकस्व (पेटेन्ट) एवं स्वात्वाधिकार (कापीराइट):

एक दंत शल्य चिकित्सक शल्य चिकित्सा उपकरणों, यंत्रों औषधि का पेटेन्ट या उसके प्रयोगों, प्रणालियों एवं क्रियाविधियों का स्वात्वाधिकार प्रयोगों, प्रणालियों एवं क्रियाविधियों का स्वात्वाधिकार करवा सकता है। तथापि यह अनैतिक होगा यदि इस प्रकार के पेटेन्ट या कापीराइट के लाभों को उन स्थितियों में उपलब्ध नहीं करवाया जाता है जहां बड़ी संख्या में लोगों के हित शामिल हों।

8.5 ओपन दुकान चलाना (चिकित्सक द्वारा औषधियाँ एवं यंत्रों को तैयार करना) :

दंत शल्य चिकित्सक को उससे भिन्न डाक्टरों द्वारा निर्धारित नुस्खे देने के लिए औषधि की बिक्री के लिए या दंत चिकित्सा या शल्यचिकित्सा यंत्रों की बिक्री के लिए बाहरी दुकान नहीं चलानी चाहिए। दंत शल्य चिकित्सक के लिए औषधियों का निर्धारण, आपूर्ति या बिक्री, अपने क्लिनिक में उपचार या दंत यंत्र अनैतिक नहीं है जब तक कि रोगियों का किसी प्रकार का शोषण नहीं होता है। दंत शल्य चिकित्सक द्वारा निर्धारित औषधियाँ या रोगी के लिए बाजार से ली गई औषधि में मालिकाना एवं औषधि के सामान्य नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

8.6 छूट एवं कमीशन:

(8.6.1) दंत शल्यचिकित्सक न तो किसी प्रकार के उपहार, उपदान, कमीशन या बोनस देगा, मांग करेगा या प्राप्त करेगा और न ही बदले में दंत, चिकित्सा, शल्यचिकित्सा या अन्य उपचार के लिए किसी रोगी को भेजेगा, सिफारिश करेगा या उससे कुछ प्राप्त करेगा। शल्य चिकित्सक प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः न तो किसी मतभेद, हस्तांतरण, समनुदेशन, वशीकरण, छूट, विखंडन के कार्य में सहभागी या पार्टी होगा या चिकित्सा, शल्यचिकित्सा या अन्य उपचार के लिए किसी फीस को विखंडित या वापस नहीं करेगा।

(8.6.2) धारा 8.6.1 के उपबंध (इस दस्तावेज के, आचार संहिता विनियम, 2012 का संशोधित दंत चिकित्सक बोर्ड) चिकित्सक या किसी व्यक्ति द्वारा उल्लिखित करने, सिफारिश करने, रोग निदान प्रयोजनों या अन्य अध्ययन/कार्य के लिए नमूना या सामग्री के लिए समान रूप से लागू होगा। तथापि, इस धारा में योग्य चिकित्सक द्वारा उसके पर्यवेक्षण के अंतर्गत चिकित्सा प्रदान करने वाले अन्य विधिवत योग्य व्यक्ति को वेतन का भुगतान निषिद्ध होगा।

8.7 गुप्त उपचार:

इस प्रकार के गुप्त उपचारों को, जिनके मिश्रण या निर्माण या उसके उपयोग के विकास से वह अनभिज्ञ है, उन्हें चिकित्सक द्वारा निर्धारित करना या देना अनैतिक है और निषिद्ध है। दंत शल्य चिकित्सक द्वारा निर्धारित सभी औषधियों पर स्वामित्व फार्मूला एवं स्पष्ट नाम होना चाहिए।

8.8 मानव अधिकार:

चिकित्सक किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक यातना में न तो सहायक होगा और न ही इसे छिपाएगा, ऐसा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या एजेंसी द्वारा किया जाना मानव अधिकारों का उल्लंघन है।

8.9 अनैतिक कृत्य:

निम्नलिखित कृत्य दंत चिकित्सक के लिए अनैतिक कृत्य होंगे:

(8.9.1) दंत चिकित्सक पेशेवर प्रेक्टिस या किसी अन्य पेशेवर सहायक (रजिस्टर्ड दंत चिकित्सक स्वास्थ्य विज्ञानी या रजिस्टर्ड दंत चिकित्सक मैकेनिक के नाते नहीं) में दंत चिकित्सक/दंत चिकित्सक शल्य चिकित्सक को नियोजित नहीं करेगा जिसका नाम

अधिनियम की धारा 2 के खंड (डी) में यथापरिभाषित दंत चिकित्सा में राज्य दंत चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत नहीं है। तथापि, वह चिकित्सा प्रेक्टीशनर या निश्चेतक, जैसा आवश्यक हो, की सेवाएं ले सकता है।

(8.9.2) किसी प्रमाण पत्र को अपने नाम एवं प्राधिकार से हस्ताक्षर करना जो असत्य, गुमराह करने वाला या गलत हो या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः झूठा प्रमाण पत्र देता हो।

(8.9.3) दंत चिकित्सा में अपने शैक्षणिक कैरियर के दौरान उसके द्वारा अर्जित दंत अर्हताओं को छोड़कर दंत चिकित्सक के नाम के बाद संक्षेपाक्षर का प्रयोग जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (जे) में यथापरिभाषित 'मान्य दंत अर्हकता' की परिभाषा के अनुरूप हैं या उपलब्धियों को दर्शाते हुए दीक्षांत समारोह के माध्यम से प्राप्त मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कोई अन्य शैक्षणिक अर्हकताएं। सम्मानार्थ आधार पर प्रदत्त कोई डिग्री पर बाद में 'ओनरीज कॉज (Honoris Causa)' शब्द लगाना चाहिए। इस प्रकार के अस्वीकार्य संक्षेपाक्षर में लेकिन ये निम्नलिखित तक आवश्यक रूप से सीमित नहीं हैं जो शैक्षणिक अर्हताएं नहीं हैं:

(8.9.3.1) रजिस्टर्ड डेन्टल प्रेक्टीशनर के लिए आर.डी.पी.

(8.9.3.2) मेंबर, इण्डियन डेन्टल एसोसिएशन के लिए एम.आई.डी.ए.

(8.9.3.3) फैलो ऑफ इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ डेन्टिस्ट के लिए एफ.आई.सी.डी.

(8.9.3.4) मास्टर ऑफ इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ डेन्टिस्ट के लिए एम.आई.सी.डी.

(8.9.3.5) फैलो या अमरीकन कॉलेज ऑफ डेन्टिस्ट के लिए एफ.ए.सी.डी.

(8.9.3.6) मेंबर ऑफ रायल सोसायटी ऑफ हाइजीन के लिए एम.आर.एस.एच.

(8.9.3.7) फैलो ऑफ एकेडमी ऑफ जनरल एजुकेशन आदि के लिए एफ.ए.जी.ई.

(8.9.4) दंत चिकित्सा कॉलेज के निर्धारण के समय पर घोषणा फार्म में झूठी सूचना प्रस्तुत करना।

(8.9.5) (डुप्लीकेट संकाय) के रूप में कार्य करना अर्थात् दो/अधिक दंत चिकित्सा कालेजों में साथ-साथ कार्य करना।

(8.9.6) किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध होना अनैतिक कार्य माना जाएगा।

8.10 दंत संस्थापनाओं के नाम एवं शैली:

एक दंत चिकित्सक या दंत शल्य चिकित्सक का ग्रुप अपनी संस्थापना को दंत क्लिनिक के रूप में उल्लेख करेगा। तथापि, इसे दंत अस्पताल के रूप में स्थानीय या सामान्य एनाथिसिया के अंतर्गत मुख और दंत रोग का शल्य चिकित्सा उपचार शामिल है और रोगियों को दिन में आंतरिक रोगी के रूप में रखा जाता है या पोस्ट ऑपरेटिव सावधानी के लिए कुछ दिनों के लिए रखा जाता है बशर्ते अस्पताल अपने-अपने राज्यों में संस्थाओं या इस प्रकार के अस्पतालों के लिए सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

8.11 सांविधिक उपबंधों का उल्लंघन:

एक दल शल्य चिकित्सक इस दस्तावेज, आचार संहिता विनियम, 2014 के संशोधित दंत चिकित्सक कोड के अनुच्छेद 3.9 में उल्लिखित अधिनियमों में किसी का उल्लंघन नहीं करेगा

और इसी दस्तावेज के परिशिष्ट-3 एवं समय-समय पर यथासंशोधित नियम जिनमें दंत चिकित्सक पर प्रदत्त विशेषाधिकारों का दुरुपयोग हो भले ही इस प्रकार के उल्लंघन आपराधिक कार्यवाहियों के विषय रहे हों अथवा न रहे हों।

8.12 प्रमाण पत्रों का हस्ताक्षर करना:

रजिस्टर्ड दंत शल्य चिकित्सक समय-समय पर न्यायालयों या अन्यत्र या प्रशासनिक प्रयोजनों आदि के लिए अपनी पेशेवर क्षमता में उनके द्वारा हस्ताक्षरित कुछेक प्रमाणपत्रों, अधिसूचना, रिपोर्टों और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों को देने का अनुरोध करते हुए नियम के अंतर्गत देने के लिए बाध्य रहते हैं। इस प्रकार के दस्तावेजों में, अन्यों के अलावा, इस दस्तावेज के परिशिष्ट 4 अचार संहिता विनियम, 2014 के संशोधित दंत चिकित्सक कोड में शामिल किए गए हैं। दंत शल्य चिकित्सक अपने नाम एवं प्राधिकार से किसी ऐसे प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा जो असत्य, गुमराह करने वाला या गलत हो या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः झूठा प्रमाणपत्र देता हो। तथापि, रोगी के स्वास्थ्य से संबंधित सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर करना उसकी ड्यूटी होगी।

8.13 डाक्टर-रोगी यौन दुर्व्यवहार:

दंत शल्य चिकित्सक किसी प्रकार की अनैतिक एवं पेशेवर संबंधों के दुर्व्यवहार एवं जिम्मेदार व्यक्ति के संबंधों का अनुचित प्रयोग करते हुए रोगी के साथ यौन दुष्कृत्य में संलिप्त नहीं होगा।

8.14 भूमि की सभी विधियों को मानने वाला:

दंत शल्य चिकित्सक देश के कानून का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं करेगा या किसी ऐसे मामले में शामिल नहीं होगा जो सार्वजनिक नीति के विरुद्ध हो। वह नैतिक दुराचरण/अपराध आदि के आरोपों के लिए न्यायालय द्वारा घोषित दोषी नहीं होगा।

8.15 औषध कंपनियों एवं चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा उद्योग के साथ संबंध:

8.15.1 उपहार, यात्रा, आतिथेय, मौद्रिक अनुदान:

दंत शल्य चिकित्सक किसी औषधि कंपनी या संबद्ध स्वस्थ देखभाल उद्योग और उनके बिक्री करने वाले या प्रतिनिधियों से कोई उपहार प्राप्त नहीं करेगा। दंत शल्य चिकित्सक देश के भीतर या बाहर किसी यात्रा सुविधा का लाभ नहीं उठाएगा जिसमें प्रतिनिधि मंडल के रूप में सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सीडीई/सीएमई कार्यक्रमों आदि में शामिल होने या छुट्टियों के लिए स्वयं और परिवार सदस्यों के लिए किसी औषधि कंपनी या संबद्ध स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले उद्योग से रेल, वायुयान, शीप, क्रूस टिकट, प्रदत्त छुट्टियां आदि शामिल हों। दंत शल्य चिकित्सक किसी क्षमता में अपने प्रयोजन के लिए किसी औषध कंपनी या संबद्ध स्वास्थ्य उद्योग से नकदी, या मौद्रिक लाभ नहीं लेगा। चिकित्सा अनुसंधान, अध्ययन आदि के लिए निधियां पारदर्शी ढंग से इस प्रकार के अनुमोदित संस्थानों द्वारा अपनाई गई विधि/नियमों/मार्ग निर्देशों द्वारा निर्धारित तरिके से अनुमोदित संस्थाओं/व्यवसायगत संगठनों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। इसे पूर्णतया प्रकट किया जाएगा।

8.15.2. दंत/चिकित्सा अनुसंधान:

दंत शल्य चिकित्सक औषध तथा संबद्ध स्वास्थ्य उद्योगों द्वारा निधि-पोषित अनुसंधान परियोजनाओं में सहभागिता एवं कार्य कर सकता है। दंत शल्य चिकित्सक को यह जानना होगा कि (इस दस्तावेज, आचार संहिता विनियम, 2012 के संशोधित दंत चिकित्सक कोड के 8.15.2.1 से 8.15.2.7) निम्नलिखित मर्दों को पूरा करना समुचित नैतिक रूप से उद्योग द्वारा

निधि पोषित किसी अनुसंधान कार्य/परियोजना के लिए अनिवार्य होगा। इसलिए, इस प्रकार की स्थिति की स्वीकृति के लिए दंत शल्य चिकित्सक को निम्नानुसार कार्य करना होगा:

- (8.15.2.1) सुनिश्चित करना कि विशिष्ट अनुसंधान प्रस्ताव (प्रस्तावों) को सक्षम संबंधित प्राधिकारियों से उचित अनुमति हो।
- (8.15.2.2) सुनिश्चित करना कि इस प्रकार की अनुसंधान परियोजना (परियोजनाओं) को राष्ट्रीय/राज्य/सांस्थानिक नीति विषयक समितियों/निकायों की क्लीयरेंस हो।
- (8.15.2.3) सुनिश्चित करना कि यह चिकित्सा अनुसंधान के लिए निर्धारित सभी विधिक अपेक्षाओं को पूरा करता हो।
- (8.15.2.4) सुनिश्चित करना कि निधि का स्रोत एवं रकम शुरुआत में सार्वजनिक रूप से प्रकट की गई हो।
- (8.15.2.5) सुनिश्चित करना कि उचित सुविधाएं वालंटियरों को प्रदान की जा रही हों यदि वे अनुसंधान परियोजना के लिए आवश्यक हों।
- (8.15.2.6) सुनिश्चित करना कि अनुचित रूप से पशु प्रयोग नहीं किए जाते और आवश्यक समझे जाने पर वैज्ञानिक एवं मानवीय तरीके से प्रयोग किए जाते हों।
- (8.15.2.7) सुनिश्चित करना कि इस प्रकार के काम को स्वीकार करते हुए दंत शल्य चिकित्सक को समझौता जापन या इस प्रकार के कार्य के लिए किसी अन्य दस्तावेज/करार में इस प्रकार के खंड को शामिल करते हुए समाज के व्यापक हित में अनुसंधान के परिणामों को प्रकाशित करते की स्वतंत्रता होगी।

8.15.3. पेशेवर स्वायत्तता बनाए रखना:

औषध तथा संबद्ध उद्योग से कार्य करते हुए दंत शल्य चिकित्सक को हमेशा यह सुनिश्चित करना होगा कि वह कभी भी अपनी पेशेवर स्वायत्तता से और/या चिकित्सा संस्था की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता से समझौता नहीं करेगा।

8.15.4 संबद्धता:

दंत शल्य चिकित्सक औषधि एवं संबद्ध स्वास्थ्य उद्योगों के लिए परामर्शदाताओं, अनुसंधान कर्त्ताओं, उपचार करने वाले डाक्टरों या ऐसा करते हुए किसी अन्य पेशेवर क्षमता के रूप में सलाहकार क्षमताओं में कार्य करते हों। ऐसा करते हुए, चिकित्सा प्रेक्टीशनर सदैव देखेगा:

- (8.15.4.1.) सुनिश्चित करना कि उसकी पेशेवर निष्ठा एवं स्वतंत्रता बनी रहती हो।
- (8.15.4.2.) सुनिश्चित करना कि रोगी के हित से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाता हो।
- (8.15.4.3.) सुनिश्चित करना कि यह संबद्धता विधि अनुसार हो।
- (8.15.4.4.) सुनिश्चित करना कि इस प्रकार की संबद्धता/रोजगार पूर्णतया पारदर्शी एवं प्रकट हो।

8.15.5 समर्थन:

दंत शल्य चिकित्सक उद्योग की औषधि या उत्पाद को सार्वजनिक रूप से समर्थन नहीं करेगा। इस प्रकार के उत्पाद को उपयुक्त वैज्ञानिक निकाय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा या उचित तरीके से उपयुक्त वैज्ञानिक जर्नलों में प्रकाशित किया जाएगा।

अध्याय - 7**9. दंड एवं अनुशासनिक कार्रवाईयां**

दंत शल्य चिकित्सक ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जो अनैतिक माना जाए।

9.1 यह स्पष्ट तौर पर समझा जाना चाहिए कि आरोप एवं अनैतिक आचरण के उदाहरण जो ऊपर दिए गए हैं, कुख्यात कृत्यों की संपूर्ण सूची नहीं है जिनमें अनुशासनिक कार्रवाई अपेक्षित है और इस नोटिस को जारी करते हुए भारतीय दंत चिकित्सक परिषद् और या राज्य दंत चिकित्सक परिषदें रजिस्टर्ड प्रेक्टीशनर के भाग पर पेशेवर दुराचरण के किसी अन्य रूप से निपटते हुए प्रतिबाधित किया गया था। ऐसी परिस्थितियां इस संबंध में समय-समय पर उत्पन्न हुईं जिसमें पेशेवर दुराचरण के प्रश्न पैदा हुए जो इन किसी श्रेणी में नहीं आते। प्रत्येक सावधानी ली जानी चाहिए कि किसी तरह आचार संहिता का उल्लंघन न हो। दूसरे सभी की तरह, इस प्रकार के उदाहरणों में भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् तथा/या राज्य दंत चिकित्सा परिषद् एवं/या राज्य दंत चिकित्सा परिषदों के समक्ष लाए गए तथ्यों पर विचार एवं निर्णय करना है।

9.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि कि पेशेवर कदाचार से संबंधित कोई शिकायत अनुशासनिक कार्रवाई के लिए उपयुक्त दंत चिकित्सा परिषद् के समक्ष लाई जा सकती है। पेशेवर कदाचार की किसी शिकायत की प्राप्ति पर उपयुक्त दंत चिकित्सा परिषद् जांच करेगी एवं रजिस्टर्ड दंत चिकित्सा शल्य प्रेक्टीशनर को व्यक्तिगत या अभिवक्ता द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। यदि दंत चिकित्सक/दंत शल्य चिकित्सक पेशेवर कदाचार के लिए दोषी पाया जाता है तो उपयुक्त दंत चिकित्सा परिषद्, जैसा आवश्यक समझे, दण्ड दे सकती है या बरखास्तगी का निर्देश दे सकती है या अपचारी रजिस्टर्ड प्रेक्टीशनर के नाम रजिस्टर से विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हटा सकती है। रजिस्टर से हटाने को स्थानीय प्रेस तथा विभिन्न चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा एसोसिएशनों/सोसायटी/ निकायों के प्रकाशनों में व्यापक तौर से प्रसारित किया जाएगा।

9.3. यदि रजिस्टर से हटाने का दंड सीमित अवधि के लिए हो तो उपयुक्त परिषद् यह भी निर्देश दे सकती है कि हटाए गए नाम को अवधि बीत जाने के बाद रजिस्टर में बहाल किया जाएगा जिसके लिए नाम को हटाने का आदेश दिया गया था।

9.4. अपचारी दंत शल्य चिकित्सक के विरुद्ध शिकायत पर निर्णय 6 महीने की समय-सीमा के अंदर किया जाएगा।

9.5 शिकायत के लंबित होने के दौरान उपयुक्त परिषद् उस क्रियाविधि या प्रक्रिया को रोकने के लिए दंत शल्य चिकित्सक को कह सकती है जो संवीक्षा के अधीन है।

9.6 पेशेवर अक्षमता को राज्य दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार शीर्ष समूह द्वारा अधिनिर्णीत किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए राज्य दंत चिकित्सा परिषद् नीति विषयक समिति गठित करेगी जिसमें राज्य में प्रतिष्ठित रजिस्टर्ड दंत शल्य-चिकित्सक में निष्ठा एव सुविख्यात योग्य व्यक्ति होंगे।

9.7 जहां अनुरोध या अन्यथा राज्य सरकार या कोई सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जाता है कि अपचारी प्रेक्टीशनर के विरुद्ध कोई शिकायत पर शिकायत की प्राप्ति की तारीख से 6 महीने की अवधि के अंदर राज्य दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्णय नहीं किया गया है और राज्य

सरकार या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी के पास विश्वास का कारण है कि उक्त निर्धारित अवधि के अंदर शिकायत पर निर्णय न करने का कोई उचित कारण नहीं है तो राज्य सरकार या कोई सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित कार्य कर सकता है:

(9.7.1) निर्धारित समय सीमा के अंदर शिकायत पर निर्णय करने एवं निष्कर्ष के लिए संबंधित राज्य दंत चिकित्सा परिषद् पर दबाव डाल सकता है।

(9.7.2) सीधे या अवधि के समाप्त होने के बाद संबंधित राज्य दंत चिकित्सा परिषद् के पास लंबित उक्त शिकायत के उल्लेख का निर्णय कर सकता है जिसे उक्त पैरा (इस दस्तावेज के 9.7.1. नीति विषयक विनियम, 2012 के संशोधित दंत चिकित्सक कोड) के अनुसार विनियम द्वारा निर्धारित किया गया है एवं राज्य सरकार के पास शिकायत की प्राप्ति से 6 महीने से अनधिक अवधि में शीघ्रता से निपटान के लिए राज्य दंत चिकित्सा परिषद् की नीति विषयक समिति को उसे भेज सकती है।

9.8 अपाचारी दंत शल्य चिकित्सक के विरुद्ध किसी शिकायत पर राज्य दंत चिकित्सा परिषद् के निर्णय से व्यथित किसी व्यक्ति को उक्त राज्य दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों की अवधि के अंदर राज्य सरकार को अपील दाखिल करने का अधिकार होगा।

बशर्ते कि राज्य सरकार, यदि यह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता 60 दिनों की उक्त अवधि के अंदर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, आगे 60 दिनों की अवधि के अंदर प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है।

कर्नल (सेवानिवृत्त) डॉ. एस. के. ओझा, स्थानापन्न सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./98/14]

पाद टिप्पणी : मूल विनियम अर्थात् 'दंत चिकित्सक (आचार संहिता) विनियम, 2014' को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (1) में दिनांक 21.8.1976 को प्रकाशित किया गया था।

DENTAL COUNCIL OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2014

No. DE-97-2014.—In exercise of the powers conferred by Section 20 read with Section 17A of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Dental Council of India with the previous sanction of the Central Government, in supersession of the Dentists (Code of Ethics) Regulations 1976, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby makes the following Dental Council of India (Code of Ethics) Regulations :—

1. **Short title and Commencement :**

- 1.1 These regulations may be called the Revised Dentists (Code of Ethics) Regulations, 2014.
- 1.2 They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette of India.

2. **Definitions :**

In these regulations, unless the context otherwise requires;

- 2.1 'Act' means the Dentists Act, 1948 (16 of 1948);
- 2.2 'Council' means the Dental Council of India;
- 2.3 Dentist means any person with a register able dental degree (in Part A or Part B of the State Dental Register) either by virtue of a prior registration with the Council or one who has been conferred a Bachelor of Dental Surgery (BDS) from any university recognized by the Council and shall be referred to as a Dentist or Dental Surgeon;
- 2.4 Post graduate dental degree refers to any postgraduate qualification such as M.D.S. in any discipline of dentistry received by convocation from a University recognized by the Dental Council of India or any other post graduate qualification equivalent to MDS that is recognized by the Council;

- 2.5 All expressions used and not defined in these regulations shall have the meanings assigned to them in the Act and the regulations made there under from time to time.

CHAPTER 1

3. Code of Dental Ethics

A. Declaration :

Every dentist who has been registered (either on Part A or Part B of the State Dentists Register) shall, within a period of thirty days from the date of commencement of these regulations, and every dentist who gets himself registered after the commencement of these regulations shall, within a period of thirty days from such registration, make, before the Registrar of the State Dental Council, a declaration in the form set out for the purpose in the Schedule to these regulations and shall agree to have read, understood and thence to abide by the same.

B. Duties and Obligation of Dentists in General

3.1 Character of Dentist / Dental Surgeon

In view of the important role of a Dentist/ Dental Surgeon as a health professional educated and trained in surgical and medical treatment of diseases of the Oral cavity, he shall:

- (3.1.1) Be mindful of the high character of his mission and the responsibilities he holds in the discharge of his duties as an independent health-care professional and shall always remember that care of the patient and treatment of the disease depends upon the skill and prompt attention shown by him and always remembering that his personal reputation, professional ability and fidelity remain his best recommendations;
- (3.1.2) Treat the welfare of the patients as paramount to all other considerations and shall conserve it to the utmost of his ability;
- (3.1.3) Be courteous, sympathetic, friendly and helpful to, and always ready to respond to, the call of his patients, and that under all conditions his behaviour towards his patients and the public shall be polite and dignified;

3.2 Maintaining good Clinical Practices :

The Principal objective of the Dental profession is to render service to humanity with full respect for the dignity of profession and man. Dental Surgeons should merit the confidence of patients entrusted to their care, rendering to each a full measure of service and devotion. They should try continuously to improve medical knowledge and skills and should make available to their patients and colleagues the benefits of their professional attainments. The Dentist/ Dental Surgeon should practice methods of healing founded on scientific basis and should not associate professionally with anyone who violates this principle. The honoured ideals of the dental profession imply that the responsibilities of the Dental Professionals extend not only to individuals but also to Society.

- (3.2.1) The Principal objective of the Dental profession is to render service to humanity with full respect for the dignity of profession and man. Dental Surgeons should merit the confidence of patients entrusted to their care, rendering to each a full measure of service and devotion. They should try continuously to improve medical knowledge and skills and should make available to their patients and colleagues the benefits of their professional attainments. The Dentist/ Dental Surgeon should practice methods of healing founded on scientific basis and should not associate professionally with anyone who violates this principle. The honoured ideals of the dental profession imply that the responsibilities of the Dental Professionals extend not only to individuals but also to Society.
- (3.2.2) Membership in Dental and Medical Associations and Societies: For the advancement of his/her profession, a Dental Surgeon should be encouraged to affiliate with associations and societies of dental, oral and allied medical professionals and play a proactive role in the promotion of oral health in particular and health of an individual in general.
- (3.2.3) A Dentist/Dental Surgeon should enrich his professional knowledge by participating in professional meetings as part of Continuing Dental and Medical Education programs/Scientific Seminars/Workshops as stipulated by the regulations made by the statutory bodies from time to time and should register any mandatory requirements with the state registration bodies or any other body as stipulated.

3.3 Maintenance of Dental/Medical records :

- (3.3.1) Every Dental surgeon shall maintain the relevant records pertaining to his out- patients and in-patients (wherever applicable). These records must be preserved for a minimum period of three years from the date of commencement of the treatment in a format determined by the Council or accepted as a standard mode of documentation.

- (3.3.2) If any request is made for medical or dental records either by the patients/authorized attendant or legal authorities involved, the same may be issued to the competent authority within 72 hours after having obtained a valid receipt for all documents. It is prudent to keep certified photocopies /carbon copies of such submissions.
- (3.3.3) A Registered Dental practitioner shall maintain a Register of Medical Certificates giving full details of certificates issued. When issuing a medical certificate he shall always enter the identification marks of the patient and keep a copy of the certificate. He shall not omit to record the signature and/or thumb mark, address and at least one identification mark of the patient on the medical certificates or report. The medical certificate shall be prepared as in Appendix 2 of this document, Revised Dentists Code of Ethics Regulations, 2012.
- (3.3.4) Efforts shall be made to digitalize dental/ medical records for quick retrieval.
- 3.4 **Display of Registration Numbers :**
- (3.4.1) Every Dental practitioner shall display the registration number accorded to him by the State Dental Council in his clinic and in all his prescriptions, certificates and money receipts given to his patients.
- (3.4.2) Dental Surgeons shall display as suffix to their names only recognized Dental degrees which are recognized by the Council or other qualifications such as certificates/diplomas and memberships/honours/ fellowships which are conferred by recognized Universities/ recognized bodies approved by the Council and obtained by convocation in person or in absentia. Any other qualifications such as medical degrees, doctorates, post-doctoral degrees or any degree that has bearing on the person's knowledge or exemplary qualification may be used as suffix in a manner that does not convey to the observer or patient a false impression regarding the practitioner's knowledge or ability as a dental professional. Abbreviations of memberships in association or organizations of professionals should not be used as abbreviations in a manner that is misleading to the public [refer to Article 8.9.3 of this document, Revised Dentists Code of Ethics Regulations, 2012 for relevant details].
- 3.5 **Prescription of Drugs :**
- Every dental surgeon should take care to prescribe and administer drugs in a responsible manner and ensure safe and rational use of drugs. He should as far as possible, prescribe drugs in a generic form.
- 3.6 **Highest Quality Assurance in patient care :**
- Every Dental practitioner should ensure quality treatment that does not compromise the outcome of treatment. He must be vigilant about malpractice by other practitioners that may jeopardize the lives of others and which are likely to cause harm to the public. All practitioners should be aware of unethical practices and practices by unqualified persons. Dentists/ Dental Surgeons shall not employ in connection with their professional practice any attendant who is neither registered nor enlisted under the Dentists Act and shall not permit such persons to attend, treat or perform operations upon patients wherever professional discretion or skill is required.
- 3.7 **Exposure of Unethical Conduct :**
- A Dental Surgeon should expose, without fear or favour, incompetent or corrupt, dishonest or unethical conduct on the part of members of the profession. It is the responsibility of the dental surgeon to report to the competent authorities' instances of quackery and any kind of abuse including doctor-patient sexual misconduct, misuse of fiduciary relationship, child abuse and other social evils that may come to their attention.
- 3.8 **Payment of Professional Services :**
- The Dental Surgeon, engaged in the practice of his profession shall give priority to the interests of patients. The personal financial interests of a dental surgeon should not conflict with the medical interests of patients. A dental practitioner should announce his fees before rendering service and not after the operation or treatment is under way. Remuneration received for such services should be in the form and amount specifically announced to the patient at the time the service is rendered. It is unethical to enter into a contract of "no cure - no payment". Dental Surgeons rendering service on behalf of the State shall refrain from anticipating or accepting any consideration. While it is not mandatory to offer free consultations to fellow dental or medical professionals and their immediate family, it will be deemed a courtesy to offer free or subsidized consultations and treatment to them in situations where no significant expenses are incurred.
- 3.9 **Observation of Statutes :**
- The Dental Surgeon shall observe the laws of the country in regulating the practice of his profession including the Dentists' Act 1948 and its amendments and shall also not assist others to evade such laws. He should be cooperative in observance and enforcement of sanitary laws and regulations in the

interest of public health. He should observe the provisions of the State Acts like Drugs and Cosmetics Act, 1940; Pharmacy Act, 1948; Narcotic Drugs and Psychotropic substances Act, 1985; Environmental Protection Act, 1986; Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1954; Persons with Disabilities (Equal Opportunities and Full Participation) Act, 1995 and Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 and such other Acts, Rules, Regulations made by the Central/State Governments or local Administrative Bodies or any other relevant Act relating to the protection and promotion of public health.

3.10 **Signing Professional Certificates, Reports and other Documents :**

A Registered Dental Surgeon involved independently in the treatment of dental and oral surgical problems may be called upon to sign certificates, notifications, reports etc. He is bound to issue such certificates and to sign them. Documents relating to disability, injury in the oral and maxillofacial region and deaths occurring while under the care of such dental surgeons should be signed by them in their professional capacity for subsequent use in the courts or for administrative purposes etc. Such documents, among others, include the ones given at Appendix 4. Any registered dental surgeon who is shown to have signed or given under his name and authority any such certificate, notification, report or document of a similar character which is untrue, misleading or improper, is liable to have his name deleted from the Register.

CHAPTER 2

4 **DUTIES OF DENTAL PRACTITIONERS TO THEIR PATIENTS**

4.1 **Obligations to Patients**

(4.1.1) Though a Dental Surgeon is not bound to treat each and every person asking his services, he should attend emergencies reporting to the clinic and should be mindful of the high character of his/her mission and the responsibility he discharges in the course of his professional duties. The Dental Surgeon should see patients at their hour of appointment as far as possible unless he is unable to do so due to unforeseen delays. He should never forget that the health and the lives of those entrusted to his care depend on his skill and attention. A Dental Surgeon should endeavour to add to the comfort of the sick by making his visits at the hour indicated to the patients. A Dental surgeon advising a patient to seek service of another Dental Surgeon or physician is acceptable. However in the case of medical emergency a Dental Surgeon must institute standard care including resuscitation in case of cardiac episodes, for which all dental surgeons must be adequately trained in basic life support.

(4.1.2) A Dental Surgeon can refuse treatment using his discretion but it should not be on the basis of any discrimination of colour, caste, religion, nationality or the presence of ailments such as HIV or other contagious diseases. However in keeping with the dictum of medical care, the dental surgeon must 'continue to treat' if he/she has accepted the patient for treatment. Treatment can be terminated on the wishes of the patient or with the resolution of the complaint for which the patient sought treatment. Treatment can also be terminated if the patient is in need of additional or expert care for which the Dental surgeon is not equipped to treat or if it falls outside the range of his expertise. In such instances, the patient should be referred to such specialists or higher centres where treatment is possible.

(4.1.3) A Dental Practitioner having any incapacity detrimental to the patient or which can affect his performance vis-a-vis the patient is not permitted to practice his profession.

4.2 **Confidentiality :**

Confidences concerning individual or domestic life entrusted by patients to a Dental Surgeon and defects in the disposition or character of patients observed during professionally attending to a patient should never be revealed unless such a revelation is required by the laws of the State. Sometimes, however, a clinician must determine whether his duty to society requires him to employ knowledge, obtained through confidence as a health care provider to protect a healthy person against a communicable disease to which he is about to be exposed. In such instance, the Dental Surgeon should act as he would wish another to act toward one of his own family in like circumstances.

4.3 **Prognosis :**

The Dental Surgeon should neither exaggerate nor minimize the gravity of a patient's disease. He should ensure himself that the patient, his relatives or his responsible friends have such knowledge of the patient's condition as will serve the best interests of the patient and the family.

4.4 **The Patient must not be neglected :**

A Dental surgeon is free to choose whom he will serve. He should, however, respond to any request for his assistance in an emergency. Once having undertaken a case, the Dental Surgeon should not neglect the patient, nor should he withdraw from the case without giving adequate notice to the patient and his family. He shall not wilfully commit an act of negligence that may deprive his patient or patients from necessary Dental/Medical care.

CHAPTER 3

5 DUTIES OF DENTAL SURGEONS AND SPECIALISTS IN CONSULTATIONS

5.1 **Consultation Etiquettes:**

(5.1.1) A Dental Surgeon should ordinarily be able to deal with all common diseases of the Oral cavity by virtue of his qualification and training. However, if the patient requires expert care of a specialist, appropriate references to Dental or Medical specialists may be made according to the nature of the problem. It is the duty of a specialist to refer the patient back to the patient's original dentist after the treatment for which the referral was made. While the specialist can collect his or her fees it would be unethical to pay commissions or any kind of gratuity to the referring dental surgeon.

(5.1.2) A Dental Surgeon shall not receive from the radiologist, laboratory or dispensing chemist any kind of commission in the form of money, gifts or gratuity for referrals. All referrals for investigation should be judicious, justifiable and done in the best interests of the patient to arrive at a diagnosis.

5.2 **Consultation for Patient's Benefit:**

In every consultation, the benefit to the patient is of foremost importance. All Dental Surgeons engaged in the case should be frank with the patient and his attendants.

5.3 **Punctuality in Consultation:**

Punctuality for consultations should be observed by a Dental Surgeon except in the case of unavoidable professional delays which are justifiable.

5.4 **Opinions and Disclosure:**

(5.4.1) All statements to the patient or his representatives made by any Consulting Healthcare Professional and/or the paramedical staff(nurses, etc.,) should take place in the presence of the Dental Surgeon, except as otherwise agreed. The disclosure of the opinion to the patient or his relatives or friends shall rest with the Dental Surgeon.

(5.4.2) Differences of opinion should not be divulged to the patient unnecessarily but when there is irreconcilable difference of opinion the circumstances should be frankly and impartially explained to the patient or his relatives or friends. It would be up to them to seek further advice, if they so desire.

5.5 **Treatment after Consultation:**

No decision should restrain the attending Dental Surgeon from making such subsequent variations in the treatment if any unexpected change occurs, but at the next consultation, reasons for the variations should be discussed/ explained. The same privilege, with its obligations, belongs to the consultant when sent for in an emergency during the absence of attending Dental surgeon. The attending Dental Surgeon may prescribe medicine at any time for the patient, whereas the consultant may prescribe only in case of emergency or as an expert when called for.

5.6 **Patients Referred to Specialists:**

When a patient is referred to a specialist by the attending Dental surgeon, a case summary of the patient should be given to the specialist, who should communicate his opinion in writing to the attending Dental surgeon.

5.7 **Fees and other charges:**

(5.7.1) A Dental Surgeon or the Clinic run by him shall clearly indicate the cost of treatment for the procedure and make an estimate of all costs likely to be incurred. Any increase in subsequent cost should be justified by the Dental surgeon. There is no bar on the display of fees and other charges in the Dental Clinic. Prescription should also make it clear if the Dental Surgeon himself dispensed any medicine.

(5.7.2) A Dental Surgeon shall write his name and designation in full along with the recognized dental degrees and the registration particulars in his prescription letter head.

Note: In Government hospitals where the patient-load is heavy, the name of the prescribing doctor must be written below his signature.

CHAPTER 4

6 RESPONSIBILITIES OF DENTAL SURGEONS TO ONE ANOTHER

6.1 **Dependence of Dental Surgeons to each other:**

A Dental Surgeon should consider it as a pleasure and privilege to render gratuitous service to other dentists, physicians and their immediate family dependants. However there is no mandatory bar on one accepting fees particularly when it involves expensive materials and time.

6.2 **Conduct in Consultation:**

In consultations, no insincerity, rivalry or envy should be indulged in. All due respect should be observed towards the Dental Surgeon/physician in-charge of the case and no statement or remark be made, which would impair the confidence reposed in him. For this purpose no discussion should be carried on in the presence of the patient or his representatives.

6.3 **Consultant not to take charge of the case:**

When a specialist Dental Surgeon has been called for consultation, the Consultant should normally not take charge of the case, especially on the solicitation of the patient or friends. The Consultant shall not criticize the referring Dental Surgeon. He shall discuss the diagnosis treatment plan with the referring Dental Surgeon.

6.4 **Appointment of Substitute:**

Whenever a Dental Surgeon requests another Dental Surgeon to attend his patients during his temporary absence from his practice, professional courtesy requires the acceptance of such appointment only when he has the capacity to discharge the additional responsibility along with his other duties. The Dental Surgeon acting under such an appointment should give the utmost consideration to the interests and reputation of the absent Dental Surgeon and all such patients should be restored to the care of the latter upon his return.

6.5 **Visiting another Case:**

When it becomes the duty of a Dental Surgeon occupying an official position to see and report upon a condition and appropriate treatment, he should communicate to the Dental Surgeon in attendance so as to give him an option of being present. The Medical Officer/Dental Surgeon occupying an official position should avoid remarks upon the diagnosis or the treatment that has been adopted.

CHAPTER 5

7 DUTIES OF DENTAL SURGEONS TO THE PUBLIC AND TO THE PARAMEDICAL PROFESSION

7.1 **Dental Surgeons as Citizens:**

Dental Surgeons, as good citizens, possessed of special training should disseminate advice on public health issues. They should play their part in enforcing the laws of the community and in sustaining the institutions that advance the interests of humanity. They should particularly co-operate with the authorities in the administration of sanitary/public health laws and regulations.

7.2 **Public and Community Health:**

Dental Surgeons, especially those engaged in public health dentistry, should enlighten the public concerning oral health and prevention of oral diseases such as dental caries, periodontal health, pre-cancerous lesions and oral cancer. At all times the dental surgeons should notify the constituted public health authorities or hospitals of every case of communicable disease under his care, in accordance with the laws, rules and regulations of the health authorities.

7.3 **Pharmacists /Nurses:**

Dental Surgeons should recognize and promote the practice of different paramedical services such as Dental Hygienist, Dental Mechanic, Pharmacy and Nursing as professions and should seek their cooperation wherever required.

CHAPTER 6

8 UNETHICAL ACTS:

A Dental Surgeon shall not aid or abet or commit any of the following acts which shall be construed as unethical. For the purpose of this regulations a dental surgeon refers to all registered practitioners whether they are in individual private practice, attached to hospitals, teaching hospitals or employed by others whether they are corporate or otherwise:

8.1 **Advertisement:**

The global position on the issue of Ethics of Advertisement by Dental/Medical professionals has drastically changed over the last few decades. A Dentist or a group of Dentists may advertise provided that they maintain decorum, keeping in mind the high moral obligations and the value that society places on the important nature of their work and the moral character and integrity expected of them. Dental Surgeons are expected to exhibit integrity, honesty, fidelity and selfless service. Monetary commitments can only be secondary to the welfare of his patients.

Under these circumstances it is unethical:

- (8.1.1) To indulge in demeaning solicitation and false promises through advertisements or direct marketing of individuals, clinics or hospitals in contravention of the National Advertising Council or any other body regulating advertising in the country;
- (8.1.2) To advertise, whether directly or indirectly or being associated or employed with any organization or company including corporate bodies that indulges in such activities in a manner which gives unfair professional advantage by cold targeting vulnerable groups and conducting camps and other promotional activity in schools, colleges, old age homes and distributing handbills, claim vouchers and other business promotional activities. Registered charitable organizations including registered body of Dental or Medical persons which provide fully free dental care and treatment out of altruism are however exempted;
- (8.1.3) To be associated with or employed by those who procure or sanction such false and misleading advertisements or publication through press reports that promise inducements, rebates and false benefits;
- (8.1.4) To employ any agent or canvasser for the purpose of obtaining patients in a manner that is commercial; or being associated with or employed by those who procure or sanction of such employment;
- (8.1.5) To use or exhibit any disproportionately large sign, other than a sign which in its character, position, size and wording is merely such as may reasonably be required to indicate to persons seeking the exact location of, and entrance to, the premises at which the dental practice is carried on, and nowhere else;
- (8.1.6) To allow the Dental Surgeon's name to be used to designate commercial articles such as tooth paste, tooth brush, tooth powder, mouth washes liquid cleaners, or the like except if such articles are fabricated in the dental clinic e.g. dentures, crowns, bridges, etc.;
- (8.1.7) To permit publication of the Dental Surgeon's opinion on any procedure, equipment, in the general or lay papers or lay journals except when validated or supported by evidence based studies;
- (8.1.8) To indulge in surrogate advertisements in the garb of educating the public through TV programs, magazines or periodicals. Any public information disseminated to the public in good faith and intention should not carry addresses telephone numbers, e-mail addresses etc., of the Dental Surgeon or the clinic employing him to attract patients to their establishment;
- (8.1.9) To advertise in the electronic media, such as in television programs, that display names, addresses and telephone number of dentists as on-screen 'scrollers', or, of the clinics employing such dentists, etc.

8.2 **Soliciting:**

Soliciting of patients, directly or indirectly, by a Dental Surgeon, by a group of Dental Surgeons or by institutions or organizations is unethical except when permitted under the provisions mentioned later (vide 8.2.1 to 8.2.10 of this document, Revised Dentists Code of Ethics Regulations, 2012). A Dental Surgeon shall not make use of himself (or his name) as subject of any form or manner of advertising or publicity through any mode either alone or in conjunction with others which is of such a character as to invite attention to him or to his professional position, skill, qualification, achievements, attainments,

specialties, appointments, associations, affiliations or honors and/or of such character as would ordinarily result in his self-aggrandizement. A Dental Surgeon shall not give to any person, whether for compensation or otherwise, any approval, recommendation, endorsement, certificate, report or statement with respect of any drug, medicine, nostrum remedy, surgical, or therapeutic article, apparatus or appliance or any commercial product or article with respect of any property, quality or use thereof or any test, demonstration or trial thereof, for use in connection with his name, signature, or photograph in any form or manner of advertising through any mode nor shall he boast of cases, operations, cures or remedies or permit the publication of report thereof through any mode.

A Dental Surgeon is however permitted as an ethically acceptable practice to make a formal announcement in press regarding the following:

- (8.2.1) On starting practice.
- (8.2.2) On change of type of practice.
- (8.2.3) On changing address.
- (8.2.4) On temporary absence from duty for a prolonged period of time.
- (8.2.5) On resumption of practice after a break a prolonged period.
- (8.2.6) On succeeding to another practice.
- (8.2.7) About the availability of new equipment or services without boastful claims of being the 'best' or 'first' especially if such services are already available in other facilities.
- (8.2.8) Through insertion in Telephone directories, Yellow pages or on the internet is permissible and will only serve as public information. However any claim to superiority or special skills over others will be construed as unethical practice.
- (8.2.9) Through maintenance of websites about dentists or dental clinics where all information is factual will not be construed as unethical practice. Websites can also carry details of treatment facilities available and the fees for the same. This will in fact help patients to make informed choices through a transparent system. However websites should not make claims or statements that are not factual and therefore misleading to the public.

8.3 **Publicity and Signage:**

- (8.3.1) Printing of self-photograph, or any such material of publicity in the letter head or on sign board of the consulting room or any such clinical establishment shall be regarded as acts of self-advertisement and unethical conduct on the part of the physician. However, printing of sketches, diagrams, picture of human system shall not be treated as unethical;
- (8.3.2) Using or exhibition of any sign, other than a sign which in its character, position, size and wording is merely such as may reasonably be required to indicate to persons seeking the exact location of, and entrance to, the premises at which the dental practice is carried on is considered unethical. These include:
 - (8.3.2.1) Use of sign-board with the use of such words which trivialize the dignity of the profession or notices in regard to practice on premises other than those in which a practice is actually carried on, or show cases, or flickering light signs and the use of any sign showing any matter other than his name and qualifications as defined under Clause (j) of Section 2 of the Act;
 - (8.3.2.2) Affixing a sign-board on a Chemist's shop or in places where the dentist does not reside or work.
- (8.3.3) A Dental Surgeon shall not claim to be a specialist either through displayed signs on the name board and / or the office stationary (visiting cards, letterheads, etc.) unless he has a special qualification (which is recognized by the Council) in that Specialty. A Dental Surgeon can however practice all branches of Dentistry provided he shows adequate qualification, competence and bona fide training in the concerned branch or branches.

8.4 **Patent and Copyrights:**

A Dental Surgeon may patent surgical instruments, appliances and medicine or Copyright applications, methods and procedures. However, it shall be unethical if the benefits of such patents or copyrights are not made available in situations where the interest of large population is involved.

8.5 **Running an Open Shop (Dispensing of Drugs and Appliances by Physicians):**

A Dental Surgeon should not run an open shop for sale of medicine for dispensing prescriptions prescribed by doctors other than him or for sale of dental medical or surgical appliances. It is not unethical for a Dental Surgeon to prescribe, supply or sell drugs, remedies or dental appliances in his

clinic as long as there is no exploitation of the patients. Drugs prescribed by a Dental Surgeon or brought from the market for a patient should explicitly state the proprietary formulae as well as generic name of the drug.

8.6 Rebates and Commission:

(8.6.1) A Dental Surgeon shall not give, solicit, or receive nor shall he offer to give solicit or receive, any gift, gratuity, commission or bonus in consideration of or return for the referring, recommending or procuring of any patient for dental, medical, surgical or other treatment. A Dental Surgeon shall not directly or indirectly, participate in or be a party to act of division, transference, assignment, subordination, rebating, splitting or refunding of any fee for medical, surgical or other treatment.

(8.6.2) Provisions of Section 8.6.1 (of this document, Revised Dentists Code of Ethics Regulations, 2012) shall apply with equal force to the referring, recommending or procuring by a physician or any person, specimen or material for diagnostic purposes or other study / work. Nothing in this section, however, shall prohibit payment of salaries by a qualified physician to other duly qualified person rendering medical care under his supervision.

8.7 Secret Remedies:

The prescribing or dispensing by a physician of secret remedial agents of which he does not know the composition, or the manufacture or promotion of their use is unethical and as such prohibited. All the drugs prescribed by a dental surgeon should always carry a proprietary formula and clear name.

8.8 Human Rights:

The physician shall not aid or abet torture nor shall he be a party to either infliction of mental or physical trauma or concealment of torture inflicted by some other person or agency in clear violation of human rights.

8.9 Unethical Practices:

The following shall also be the unethical practices for a Dentist:

(8.9.1) A Dental Surgeon shall not employ a Dentist / Dental Surgeon in the professional practice or any other professional assistant (not being a registered dental hygienist or a registered dental mechanic) whose name is not registered in the State Dentists Register, to practice Dentistry as defined in Clause (d) of Section 2 of the Act. He may however retain the services of a medical practitioner or anaesthetist as necessary;

(8.9.2) Signing under his name and authority any certificate which is untrue, misleading or improper, or giving false certificates or testimonials directly or indirectly to any person or persons;

(8.9.3) Use of abbreviations after the Dental Surgeon's name except those indicating dental qualifications as earned by him during his academic career in dentistry and which conform to the definition of 'recognized dental qualification' as defined in Clause (j) of Section 2 of the Act, or any other academic qualifications from a recognized university obtained through a convocation indicating exemplary achievement. Any degree conferred on an honorary basis should be suffixed with the words "Honoris Causa". Such unacceptable abbreviations include, but not necessarily restricted to the following which are not academic qualifications:

(8.9.3.1) R.D.P. for Registered Dental Practitioner;

(8.9.3.2) M.I.D.A. for Member, Indian Dental Association;

(8.9.3.3) F.I.C.D. for Fellow of International College of Dentists;

(8.9.3.4) M.I.C.D. for Master of International College of Dentists;

(8.9.3.5) F.A.C.D. for Fellow or American College of Dentists;

(8.9.3.6) M.R.S.H. for Member of Royal Society of Hygiene;

(8.9.3.7) F.A.G.E. for Fellow of Academy of General Education, etc.;

(8.9.4) Submission of false information in declaration form at the time of assessment of Dental College.

(8.9.5) Serving as (Duplicate faculty) i.e. working simultaneously in two/more Dental Colleges.

(8.9.6) Conviction for any crime by any court will constitute unethical act.

8.10 Naming and Styling of Dental Establishments:

A Dental Surgeon or a group of Dentists/ Dental Surgeons shall refer to their establishment as a dental clinic. It may however be referred to as a dental hospital if the practice involves surgical treatment of oral and dental diseases under local or general anaesthesia and if the patients need to be maintained as an in-patient for part of a day or for several days for post-operative care provided the hospital fulfils the statutory requirements for such hospitals or establishments in the respective States.

8.11 Contravention of Statutory Provisions:

A Dental Surgeon shall not contravene any of the acts referred to in Article 3.9 of this document, Revised Dentists Code of Ethics Regulations, 2014, and named in Annexure 3 of the same document and the rules made there under as amended from time to time, involving an abuse of privileges conferred there under upon a dentist, whether such contravention has been the subject of criminal proceedings or not.

8.12 Signing of Certificates:

A Registered Dental Surgeon is bound by law to give, or may from time to time be called upon or requested to give certain certificates, notification, reports and other documents of similar character signed by them in their professional capacity for subsequent use in the courts, or elsewhere for administrative purposes, etc. Such documents, among others, include the ones given at Appendix 4 of this document, Revised Dentists Code of Ethics Regulations, 2014. A Dental Surgeon shall not sign under his name and authority any certificate which is untrue, misleading or improper, or give false certificates or testimonials directly or indirectly to any person or persons. He shall however deem it his duty to sign all necessary certificates relating to health of the patients.

8.13 Doctor-Patient Sexual Misconduct:

A Dental Surgeon shall not be involved in immorality involving abuse of professional relationship and involve in sexual misconduct with a patient by misusing fiduciary relationship.

8.14 Abiding by all Laws of the Land:

A Dental Surgeon shall not aid or abet in any violation of the laws of the land or be involved in any matter that is against public policy. He shall not be convicted by a court of law for offences involving moral turpitude/ criminal acts.

8.15 Relationship with Pharmaceutical Companies and Medical and Dental Industry:**8.15.1 Gifts, Travel, Hospitality, Monetary Grants:**

A Dental Surgeon shall not receive any gift from any pharmaceutical or allied health care industry and their sales people or representatives. A Dental Surgeon shall not accept any travel facility inside the country or outside, including rail, air, ship, cruise tickets, paid vacations etc. from any pharmaceutical or allied healthcare industry or their representatives for self and family members for vacation or for attending conferences, seminars, workshops, CDE/CME program etc., as a delegate. A Dental Surgeon shall not receive any cash or monetary grants from any pharmaceutical and allied healthcare industry for individual purpose in individual capacity under any pretext. Funding for medical research, study etc. can only be received through approved institutions and Professional Organizations by modalities laid down by law / rules / guidelines adopted by such approved institutions, in a transparent manner. It shall always be fully disclosed.

8.15.2 Dental / Medical Research:

A Dental Surgeon may carry out, participate in, and work in research projects funded by pharmaceutical and allied healthcare industries. A Dental Surgeon is obliged to know that the fulfillment of the following items [8.15.2.1 to 8.15.2.7 of this document, Revised Dentists Code of Ethics Regulations, 2012] will be an imperative for undertaking any research assignment / project funded by industry - for being proper and ethical. Thus, in accepting such a position a Dental surgeon shall:

- (8.15.2.1) Ensure that the particular research proposal(s) has the due permission from the competent concerned authorities.
- (8.15.2.2) Ensure that such a research project(s) has the clearance of national/state/ institutional ethics committees/bodies.
- (8.15.2.3) Ensure that it fulfils all the legal requirements prescribed for medical research.
- (8.15.2.4) Ensure that the source and amount of funding is publicly disclosed at the beginning itself.
- (8.15.2.5) Ensure that proper care and facilities are provided to human volunteers, if they are necessary for the research project.

- (8.15.2.6) Ensure that undue animal experimentations are not done and when these are necessary they are done in a scientific and a humane way.
- (8.15.2.7) Ensure that while accepting such an assignment a Dental Surgeon shall have the freedom to publish the results of the research in the greater interest of the society by inserting such a clause in the MOU (Memorandum of Understanding) or any other document /agreement for any such assignment.
- 8.15.3 Maintaining Professional Autonomy:**
In dealing with pharmaceutical and allied healthcare industry, a Dental Surgeon shall always ensure that there shall never be any compromise either with his/her own professional autonomy and / or with the autonomy and freedom of the medical institution.
- 8.15.4 Affiliation:**
A Dental Surgeon may work for pharmaceutical and allied healthcare industries in advisory capacities, as consultants, as researchers, as treating doctors or in any other professional capacity. In doing so, a medical practitioner shall always:
- (8.15.4.1) Ensure that his professional integrity and freedom are maintained.
- (8.15.4.2) Ensure that patients' interest is not compromised in any way.
- (8.15.4.3) Ensure that such affiliations are within the law.
- (8.15.4.4) Ensure that such affiliations/employments are fully transparent and disclosed.
- 8.15.5 Endorsement:**
A Dental surgeon shall not endorse any drug or product of the industry publically. Any study conducted on the efficacy or otherwise of such products shall be presented to and / or through appropriate scientific bodies or published in appropriate scientific journals in a proper way.

CHAPTER 7

9 PUNISHMENTS AND DISCIPLINARY ACTIONS:

A Dental Surgeon shall not aid or abet or commit any acts which shall be construed as unethical.

- 9.1 It must be clearly understood that the instances of offences and unethical conducts which are given above do not constitute and are not intended to constitute a complete list of the infamous acts which calls for disciplinary action, and that by issuing this notice the Dental Council of India and or State Dental Councils are in no way precluded from considering and dealing with any other form of professional misconduct on the part of a registered practitioner. Circumstances may and do arise from time to time in relation to which there may occur questions of professional misconduct which do not come within any of these categories. Every care should be taken that the code is not violated in letter or spirit. In such instances as in all others, the Dental Council of India and/or State Dental Councils have to consider and decide upon the facts brought before the Dental Council of India and/or State Dental Councils.
- 9.2 It is made clear that any complaint with regard to professional misconduct can be brought before the appropriate Dental Council for Disciplinary action. Upon receipt of any complaint of professional misconduct, the appropriate Dental Council would hold an enquiry and give opportunity to the registered Dental practitioner to be heard in person or by pleader. If the Dentist/ Dental Surgeon is found to be guilty of committing professional misconduct, the appropriate Dental Council may award such punishment as deemed necessary or may direct the removal altogether or for a specified period, from the register the name of the delinquent registered practitioner. Deletion from the Register shall be widely publicized in local press as well as in the publications of different Medical and Dental Associations/ Societies/Bodies.
- 9.3 In case the punishment of removal from the register is for a limited period, the appropriate Council may also direct that the name so removed shall be restored in the register after the expiry of the period for which the name was ordered to be removed.
- 9.4 Decision on complaint against delinquent Dental Surgeons shall be taken within a time limit of 6 months.
- 9.5 During the pendency of the complaint the appropriate Council may restrain the Dental Surgeon from performing the procedure or practice which is under scrutiny.
- 9.6 Professional incompetence shall be judged by peer group as per guidelines prescribed by State Dental Council. For this purpose the State Dental Council shall institute an Ethics Committee consisting of

qualified persons of integrity and good name from amongst prominent registered Dental Surgeons in the State.

- 9.7 Where either on a request or otherwise the State Government or any competent authority is informed that any complaint against a delinquent practitioner has not been decided by a State Dental Council within a period of six months from the date of receipt of complaint by it and further the State Government or any competent authority has reason to believe that there is no justified reason for not deciding the complaint within the said prescribed period, the State Government or any competent authority may.

(9.7.1) Impress upon the concerned State Dental Council to conclude and decide the complaint within a time bound schedule.

(9.7.2) May decide to refer the said complaint pending with the concerned State Dental Council straightaway or after the expiry of the period which had been stipulated by the Regulation in accordance with para (9.7.1 of this document, Revised Dentists Code of Ethics Regulations, 2012) above, to itself and refer the same to the Ethical Committee of the State Dental Council for its expeditious disposal in a period of not more than six months from the receipt of the complaint with the State Government.

- 9.8 Any person aggrieved by the decision of the State Dental Council on any complaint against a delinquent Dental Surgeon, shall have the right to file an appeal to the State Government within a period of 60 days from the date of receipt of the order passed by the said State Dental Council.

Provided that the State Government may, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of 60 days, allow it to be presented within a further period of 60 days.

Col. (Retd.) Dr. S.K. OJHA, Officiating Secy.

[ADVT. III/4/Exty./98/14]

Foot Note : The Principal Regulations, namely, the “Dentists (Code of Ethics) Regulations, 2014”, were published in Part II, Section 3, Sub-sec (1) of the Gazette of India, Extraordinary, on 21.08.1976.